VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

यूक्रेन में युद्ध के बाद एक अस्थिर वैश्विक वातावरण में भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने बेहतर तुलन पत्र और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में मजबूत वृद्धि के साथ सुदृढ़ता का प्रदर्शन किया है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप रिज़र्व बैंक के कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों ने वित्तीय स्थिरता को संरक्षित किया। वर्ष के दौरान साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए, साथ ही प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अधिक ध्यान दिया गया और पर्यवेक्षी प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए कृत्रिम बुद्धि (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) टूल्स के उपयोग की संभावना की जांच की गई। रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली (दक्ष) वर्ष के दौरान शुरू की गई थी। विनियमित संस्थाओं को रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य करते हुए प्रवर्तन कार्रवाइयों में निरंतरता सुनिश्चित की गई। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली के अस्तित्व के उद्देश्य से वर्ष के दौरान एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया गया था।

VI.1 घरेलू समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों को प्रभावित करने वाली वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में वित्तीय प्रणाली वर्ष के दौरान मजबूत और सुदृढ़ बनी रही। इस अध्याय में वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए वर्ष के दौरान किए गए विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा की गई है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ विनियामकीय/ पर्यवेक्षी ढांचे को संरेखित करने के समग्र उद्देश्य के हिस्से के रूप में, वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन, विनियामकीय अनुपालन और प्रवर्तन, तथा बैंकों में उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की गई। तदनुसार, पैमाना-आधारित विनियमन (एसबीआर) के मिडिल लेयर में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के वर्गीकरण, डिजिटल उधार, एसबीआर के तहत अपर लेयर एनबीएफसी के लिए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामकीय ढांचे की समीक्षा, डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना और यूसीबी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचे से संबंधित वर्ष के दौरान कई दिशानिर्देश जारी किए गए थे। फिनटेक विभाग ने थोक और खुदरा भुगतान के लिए चरणबद्ध तरीके से डिजिटल रुपये को पायलट आधार पर आरंभ किया। पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) ने ऑनसाइट और ऑफ-साइट पर्यवेक्षण दोनों को और मजबूत करने के लिए कई उपाय भी शुरू किए, जिनमें गतिशील पर्यवेक्षी डैशबोर्ड/प्रारंभिक चेतावनी संकेतक मॉडल विकसित करना, सीमा पारीय पर्यवेक्षी सहयोग को मजबूत करना, बड़े उधारकर्ता समूहों की निगरानी, साइबर सुरक्षा में वृद्धि और उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली (*दक्ष*) का शुभारंभ शामिल है।

VI.2 अन्य क्षेत्रों में, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) ने वित्तीय साक्षरता और धोखाधड़ी पर जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में वर्ष के दौरान अपने प्रयासों को जारी रखा, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया, और रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) पर एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया। निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने अपनी सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों में निगम का मार्गदर्शन करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन करके जन जागरूकता को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की।

VI.3 इस अध्याय के शेष भाग को पाँच खण्डों में विभाजित किया गया है। खंड 2 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) के अधिदेश और कार्यों से संबंधित है। खंड 3 वर्ष के दौरान फिनटेक विभाग की गतिविधियों के साथ डीओआर द्वारा किए गए विनियामकीय उपायों का विवरण प्रस्तुत करता है। खंड 4 में वर्ष के दौरान डीओएस द्वारा किए गए पर्यवेक्षी उपायों और ईएफडी

द्वारा किए गए प्रवर्तन कार्यों को शामिल किया गया है। खंड 5 उपभोक्ता हितों की रक्षा, जागरूकता फैलाने और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में सीईपीडी और डीआईसीजीसी द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। उक्त विभागों ने इस अध्याय के संबंधित खंडों में 2023-24 के लिए अपना कार्य-योजना भी निर्धारित किया है। अंतिम खंड में समापन टिप्पणियों को शामिल किया गया है।

2. वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.4 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) का अधिदेश प्रणालीगत दबाव परीक्षणों, संवेदनशीलता विश्लेषण और वित्तीय नेटवर्क विश्लेषण के माध्यम से समष्टि विवेकपूर्ण चौकसी करके वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता का मूल्यांकन करते हुए वित्तीय स्थिरता के जोखिमों की निगरानी करना है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, जो वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने और वित्तीय प्रणाली के लिए समष्टि विवेकपूर्ण नियमों की निगरानी के लिए नियामकों का एक संस्थागत तंत्र है। एफएसयू द्वि-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) प्रकाशित करता है, जिसमें संभावित जोखिम परिदृश्यों और वित्तीय स्थिरता के लिए उनके प्रभाव तथा पूर्व चेतावनी विश्लेषण का आकलन शामिल है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.5 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- संशोधित दबाव परीक्षण ढांचे का कार्यान्वयन और एफएसआर (उत्कर्ष) में परिणामों का प्रकाशन [पैराग्राफ VI.6];
- बैंक पूंजी पर घर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को शामिल करते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण करना (पैराग्राफ VI.7);
- समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी का संचालन (पैराग्राफ VI.8);
- अर्ध-वार्षिक एफएसआर का प्रकाशन (पैराग्राफ VI.9); और
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद - उप समिति (एफएसडीसी-एससी) की बैठकों का आयोजन [पैराग्राफ VI.10]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.6 बहु- कारक आधारित समष्टि विवेकपूर्ण दबाव परीक्षण ढांचे को संशोधित किया गया है, और संशोधित पद्धति के साथ इसके परिणाम जून, 2022 के एफएसआर में प्रकाशित किए गए थे।

VI.7 बैंक पूंजी पर घर की कीमतों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, बैंकों की पूंजी पर घर की कीमतों में गिरावट के प्रभाव का एक संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया था, और इसके परिणाम जून 2022 के एफएसआर में प्रकाशित किए गए थे। इसके अलावा, बैंकिंग स्थिरता संकेतक के लिए कार्यप्रणाली को संशोधित और प्रकाशित किया गया था।

VI.8 दिसंबर 2022 के एफएसआर में, समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय प्रणाली दबाव संकेतक प्रकाशित किया गया था। भारतीय वित्तीय प्रणाली के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों पर विशेषज्ञों, बाजार प्रतिभागियों और शिक्षाविदों की धारणाओं को एकत्र करने के लिए दो दौर के प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे।

VI.9 वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम के संतुलन पर एफएसडीसी की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन प्रदान करने वाले एफएसआर के दो संस्करण वर्ष के दौरान जारी किए गए थे। 30 जून, 2022 को प्रकाशित एफएसआर के 25वें अंक में यूक्रेन में युद्ध के कारण अनिश्चित वैश्विक दृष्टिकोण, उच्च मुद्रास्फीति के प्रतिक्रिया स्वरूप केंद्रीय बैंकों द्वारा अग्रकृत मौद्रिक नीति सामान्यीकरण, जो गैर-अस्थाई सिद्ध हुआ और कोविड-19 महामारी की अनेक लहरों से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। एफएसआर का 26$^{वां}$ संस्करण 29 दिसंबर, 2022 को

जारी किया गया था, जिसमें समष्टि-वित्तीय जोखिमों की तीव्रता संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डाला गया था। जोखिम में वृद्धि के बावजूद सशक्त समष्टि-आर्थिक आधार तथा मजबूत तुलन पत्र ने वैश्विक आघातों के विरुद्ध सुदृढ़ता प्रदर्शित किया। बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार से ऋण मांग में सुधार को समर्थन मिला। एफएसआर के दोनों संस्करणों में समष्टि-दबाव परीक्षणों ने गंभीर दबाव परिदृश्यों में भी दबाव का सामना करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की क्षमता की पुष्टि की।

VI.10 2022-23 के दौरान, एफएसडीसी-एससी ने एक बैठक आयोजित की। इस उप-समिति ने वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख विकास पर चर्चा की। इसने विभिन्न अंतर-विनियामकीय विषयों पर भी विचार-विमर्श किया और इसके दायरे में आने वाले तकनीकी समूहों की गतिविधियों और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की समीक्षा की। सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क और सक्रिय रहने का संकल्प लिया कि वित्तीय बाजार और वित्तीय संस्थान विकसित हो रही वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिति से उत्पन्न होने वाले बढ़े हुए स्पिलओवर के बीच सुदृढ़ बने रहें।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.11 आने वाले वर्ष में, एफएसयू निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- दबाव परीक्षण ढांचे की सहकर्मी समीक्षा;
- समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी का संचालन;
- अर्ध-वार्षिक एफएसआर का प्रकाशन; और
- एफएसडीसी-एससी की बैठकों का आयोजन।

3. वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

विनियमन विभाग (डीओआर)

VI.12 विनियमन विभाग (डीओआर) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के विनियमन के लिए नोडल विभाग है, जो लागत प्रभावी और समावेशी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। विनियामक ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूल बनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार इसे समायोजित किया जाता है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.13 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बेसल III मानकों के साथ अभिसरण और क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार की गणना के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.14);
- प्रावधान के लिए अपेक्षित हानि दृष्टिकोण पर एक चर्चा पत्र जारी करना (पैराग्राफ VI.15);
- अनर्जक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.16);
- जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र जारी करना (पैराग्राफ VI.17);
- डिजिटल उधार से जुड़े विवेकपूर्ण और आचरण संबंधी विषयों पर दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.18);
- वित्तीय विवरणियों पर दिशानिर्देश जारी करना - ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए प्रस्तुति और प्रकटीकरण (पैराग्राफ VI.19);
- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजीगत निधियां जुटाने के संबंध में दिशा-निर्देशों के भाग-II को जारी करना (पैरा VI.20);
- परिचालन जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिए सिद्धांतों और परिचालन सुदृढ़ता के सिद्धांतों पर मार्गदर्शन नोट (पैराग्राफ VI.21); और

- निम्नलिखित दिशानिर्देशों की समीक्षा: (क) - दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा; (ख) कार्यान्वयन के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं को विवेकपूर्ण ढांचे के अनुरूप बनाकर उनकी पुनर्संरचना; (ग) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए निवेश दिशा-निर्देश और वित्तीय विवरण प्रारूप; (घ) वाणिज्यिक बैंकों की लाभांश घोषणा नीति; (ङ) वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि प्रबंधन ढांचा; (च) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) के लिए पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा; (छ) क्रेडिट और डेबिट कार्डों पर अनुदेश; (ज) निष्क्रिय खातों के संबंध में अनुदेश, निष्क्रिय/अदावी जमा खातों के आंकड़ों को केन्द्रीकृत रूप से अपलोड करवाना; और (झ) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और इन सिफारिशों के आधार पर विनियामकीय अनुदेश जारी करने के लिए कदम उठाना (पैरा VI.22)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.14 बेसल III मानकों के साथ अभिसरण और क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार की गणना के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में व्यापक आंतरिक और बाहरी परामर्श किए गए हैं। बेसल III के तहत परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश क्रमशः 15 दिसंबर, 2021 और 17 फरवरी, 2023 को जारी किए गए थे ताकि उन पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। ऋण जोखिम पर मसौदा दिशानिर्देशों के साथ-साथ सार्वजनिक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

VI.15 विकासात्मक और विनियामक नीतियों (30 सितंबर, 2022) पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, बैंकों द्वारा प्रावधान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) -रूपरेखा पर एक चर्चा पत्र (डीपी) 16 जनवरी, 2023 को जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।

VI.16 विकासात्मक और विनियामक नीतियों (30 सितंबर, 2022) पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में दबावग्रस्त आस्तियों के ढांचे के प्रतिभूतिकरण पर एक चर्चा पत्र 25 जनवरी, 2023 को हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए जारी किया गया था (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1
दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

दबावग्रस्त आस्तियां (या अधिक विशेष रूप से, दबावग्रस्त ऋण) अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत एक्सपोजर हैं, या ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव वाले विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।[1] एसएमए का वर्गीकरण दबावग्रस्त आस्ति श्रेणी में उन खातों में दबाव की पहचान के लिए शुरू किया गया था, जिनमें चूक हुई है लेकिन अभी तक उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। समय बढ़ने के मानदंड के आधार पर एनपीए और एसएमए के बीच एक तकनीकी अंतर है, लेकिन सिद्धांतों के संदर्भ में, दोनों श्रेणियों में ऐसी आस्तियां शामिल हैं जो ऋण समझौते के अनुसार निष्पादन नहीं कर रही हैं। इसलिए सैद्धांतिक सरलता के लिए 'दबावग्रस्त आस्तियां' और 'एनपीए' का परस्पर एक दूसरे के लिए किया जाता है।

अर्थव्यवस्था में बढ़ते एनपीए के कई प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। पहला, यह उधार देने वाले संस्थानों (जैसे, प्रावधान) की पूंजी को बांध देता है और अतिरिक्त ऋण सृजन की क्षमता में बाधा डालता है; दूसरा, एनपीए में पूर्वगामी आय, प्रावधान, वसूली प्रयासों आदि में बहुत लागत लगती है; जो वित्तीय मध्यस्थों (एफआई) की लाभप्रदता को प्रभावित करता है; तीसरा, यह 'प्रतिकूल चयन' की समस्या को जन्म दे सकता है - क्योंकि उच्च एनपीए का सामना करने वाले वित्तीय संस्थान उच्च ब्याज आय की तलाश में जोखिम वाले उधारकर्ताओं को लक्षित कर सकते हैं, जिससे संसाधनों का अक्षम आवंटन हो सकता है; और अंत में, वित्तीय

(जारी...)

[1] एसएमए की तकनीकी परिभाषाओं को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा (2019) से संदर्भित किया जा सकता है।

मध्यस्थता जोखिम उत्पन्न हो सकता है क्योंकि जमाकर्ता उच्च एनपीए वाले उधारदाता संस्थानों में विश्वास खो सकते हैं। इसलिए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए अपेक्षित पहचान और समाधान उपायों को लागू करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत अनिवार्यता बन जाती है।

एनपीए से निपटने के लिए विषयगत उपाय

हाल के दिनों में कई नीतिगत पहल की गई हैं ताकि वित्तीय संस्थान अपने तुलन पत्र पर दबावग्रस्त आस्तियों का बेहतर प्रबंधन कर सकें। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था: (i) बैंकों के बही-खातों पर लंबे समय से चली आ रही दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान; (ii) चूक की स्थिति में तत्काल दबाव की समय पर पहचान और निर्धारण तथा इसे कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना; (iii) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामकीय ढांचे को सुदृढ़ करना; और (iv) उधार देने वाली संस्थाओं के लिए अपने पोर्टफोलियो का बेहतर प्रबंधन करने के लिए ऋण जोखिम अंतरण के बाजार तंत्र को सक्षम बनाना। ये उपाय उनके तुलन पत्र पर दबावग्रस्त आस्तियों के समय पर और अधिक कुशल समाधान के लिए आवश्यक निदान और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। वित्तीय संस्थानों के गंभीर प्रयासों के साथ इस तरह के उपायों से देश में समग्र ऋण अनुशासन में सुधार हुआ है, लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश है।

दबावग्रस्त आस्तियों के ढांचे का प्रस्तावित प्रतिभूतिकरण

बढ़ते एनपीए या दबावग्रस्त आस्तियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संबंधित वित्तीय संस्थानों को दी जाने वाली किसी भी समाधान प्रणाली के दो महत्वपूर्ण घटक होने चाहिए: किए गए उपाय की समयबद्धता, और संबंधित ऋण/पोर्टफोलियो के पूर्ण मूल्य को मुक्त करने की क्षमता। एनपीए के मामलों में वसूली एक समय संवेदनशील मामला है क्योंकि समय के साथ उनका मूल्य कम हो जाता है। इसलिए, कोई भी समाधान जो समय लेने वाला है, एनपीए की समस्या से निपटने में बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है। इसी तरह, एनपीए के सही मूल्य को मुक्त करने के लिए अधिग्रहण बोलियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समाधान में विशेषज्ञता वाले संभावित निवेशकों के एक विविध सेट की आवश्यकता हो सकती है।

एनपीए का प्रतिभूतिकरण एक वित्तीय संरचना है जिसके तहत अनर्जक आस्तियों का प्रवर्तक इन्हें एक विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीई) को बेचता है जो ऋण प्रतिभूतियां जारी करके इस तरह के अधिग्रहण को निधि प्रदान करता है। एसपीई बदले में एक सेवा प्रदाता इकाई नियुक्त करेगा जो दैनिक आधार पर दबावग्रस्त आस्तियों का प्रबंधन करेगा, जो आमतौर पर एक शुल्क संरचना के साथ उन्हें अंतर्निहित ऋणों पर अधिकतम वसूली के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्निहित आस्तियों से वसूली के आधार पर, निवेशकों को हिस्से की वरिष्ठता[2] के आधार पर प्राथमिकता क्रम में भुगतान किया जाएगा (चार्ट 1)।

बॉक्स VI.1 चार्ट 1: एनपीए के प्रतिभूतिकरण की सैद्धांतिक संरचना

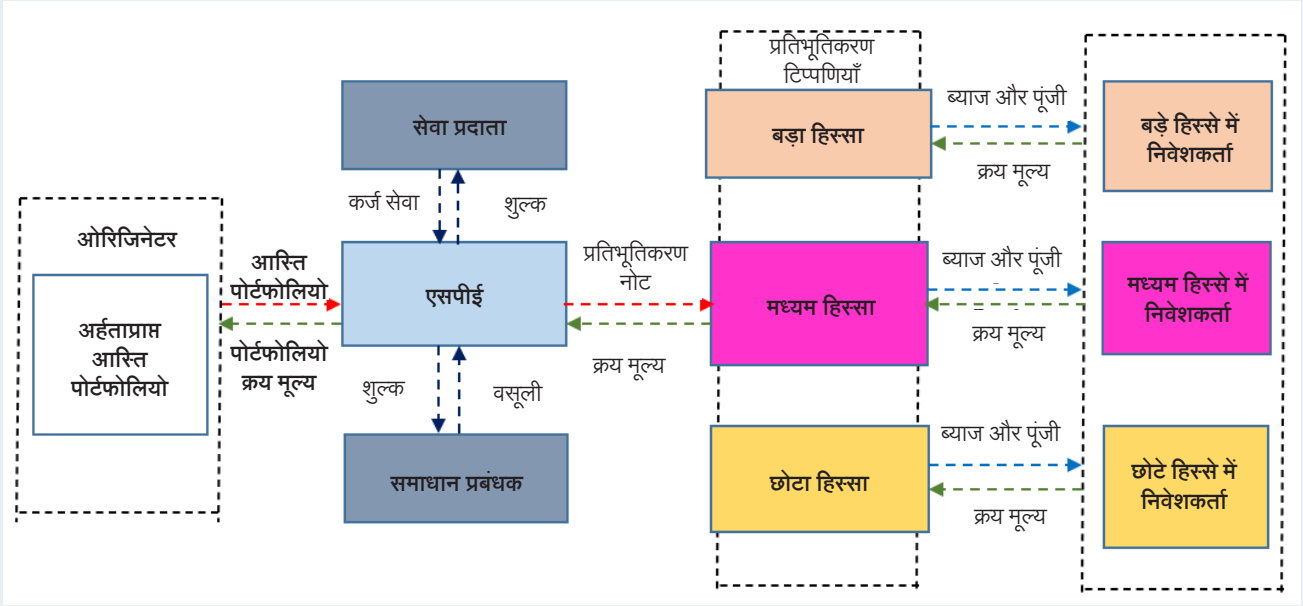

स्रोत: फैब्री, एंड्रिया (2017), 'अलकेमी ऑफ फाइनेंस - अनर्जक ऋणों का प्रतिभूतिकरण', अध्याय 7

(जारी...)

[2] बड़े हिस्से का अर्थ है, एक ऐसा भाग जो अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत समूह में आस्तियों की पूरी राशि पर पहले दावे द्वारा प्रभावी रूप से समर्थित या सुरक्षित हो; मध्यम हिस्सा को बड़े हिस्से के पश्चात समन्वित किया जाता है; और छोटे हिस्से (इक्विटी किश्त) का अंतर्निहित आस्तियों (अधिकतम जोखिम को वहन करने) पर अंतिम दावा है।

एनपीए का प्रतिभूतिकरण मानक आस्तियों से अलग है, क्योंकि मानक आस्तियों में उधारकर्ता से जुड़े ऋण जोखिम को निवेशकों द्वारा प्रतिभूतिकृत नोटों में वहन किया जाता है, जबकि प्रतिभूतिकरण में, आस्तियां पहले से ही चूक / एनपीए में हैं या अनर्जक मानी जाती हैं। उन्हें उनके नाममात्र मूल्य पर छूट के साथ प्रतिभूतिकृत किया जाता है, जो पोर्टफोलियो घाटे को कम करने के बाद इन अंतर्निहित आस्तियों के बाजार द्वारा मूल्य-निर्धारण को दर्शाता है और इसमें अनर्जक एक्सपोजर के निवल मूल्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वसूली की संभावना है। इस प्रकार, निवेशकों को इस जोखिम से अवगत कराया जाता है कि समाधान प्रक्रिया स्थानांतरित अंतर्निहित आस्तियों के निवल मूल्य को पूरी तरह से वापस पाने के लिए पर्याप्त वसूली नहीं कर सकता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिभूतिकरण समयबद्धता की आवश्यकताओं और उचित वसूली योग्य मूल्य को मुक्त करने, दोनों को, पूरा कर सकता है, क्योंकि यह विभिन्न विशेषज्ञता (जैसे, सेव प्रदाता और समाधान प्रबंधक) वाले एजेंटों के एक विविध सेट की परिकल्पना करता है ताकि अलग-अलग जोखिम क्षमता वाले व्यापक निवेशक आधार सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हो सकें। इस प्रक्रिया में समाधान और वसूली विशेषज्ञों की भागीदारी प्रतिभूतिकरण नोटों की विपणन क्षमता सुनिश्चित कर सकती है। यह उन एजेंटों के पक्ष में ऋण /रिकवरी जोखिम के बेहतर वितरण को भी सक्षम बनाएगा जो इस प्रणाली में प्रबल इच्छा और क्षमता रखते हैं, जिससे आघातों को सहने के लिए सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा कॉरपोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर गठित कार्य दल (अध्यक्ष: श्री टीएन मनोहरन) ने सितंबर 2019 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से सिफारिश की थी कि एनपीए के प्रतिभूतिकरण को दबावग्रस्त आस्तियों में वैकल्पिक निवेश मार्ग के रूप में अपनाया जा सकता है। इसलिए, सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श, व्यापक बाजार प्रतिक्रिया और हितधारकों के परामर्श के बाद, मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की तर्ज पर प्रस्तावित संरचना के माध्यम से एनपीए के प्रतिभूतिकरण को सक्षम करने का निर्णय लिया गया। यहाँ महत्वपूर्ण रूप से, इस प्रणाली का उद्देश्य एआरसी मार्ग सहित मौजूदा समाधान विधियों को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि एक विकल्प के रूप में सह-अस्तित्व प्रदान करना है, और यहां तक कि संभावित समाधान प्रबंधकों के रूप में एआरसी को सहभागिता के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं और दिशानिर्देश

हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एनपीए का प्रतिभूतिकरण अपेक्षाकृत नया है, तथापि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह विभिन्न रूपों में उपयोग में है। 'अनर्जक ऋणों का प्रतिभूतिकरण' संबंधी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने पूंजी की गणना के लिए अनर्जक एक्सपोजर (एनपीई) प्रतिभूतिकरण पर 26 नवंबर, 2020 को निर्देश जारी किए हैं और एनपीई प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर पर लागू जोखिम भार 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गए हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) ने एनपीई प्रतिभूतिकरण के लिए विनियमन भी जारी किया है, जो 9 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है। इसके अलावा, यूनाइटेड किंगडम के विवेकपूर्ण विनियमन प्राधिकरण ने बासेल मानकों के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में एक नीति वक्तव्य - अनर्जक ऋण प्रतिभूतिकरण जारी किया है। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ढांचा इन रूपरेखाओं पर आधारित है, जिन्हें घरेलू संदर्भ के अनुरूप उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

संदर्भ:

एंड्रिया एफ (2017), 'अलकेमी ऑफ फ़ाइनेंस-सेकुरटाइजेशन ऑफ नॉन-परफोरमिंग लोन्स', दूसरा संस्करण, अध्याय 7।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (2023), 'सेकुरटाइजेशन ऑफ नॉन-परफोरमिंग लोन्स", सीआरई 45, *बीआईएस*, बेसल।

यूरोपीय संघ (2021), 'यूरोपीय संसद और 31 मार्च, 2021 की परिषद का विनियमन (ईयू) 2021/557', *ब्रुसेल्स*।

बैंक ऑफ इंग्लैंड (2021), 'बेसल मानकों का कार्यान्वयन: सेकुरटाइजेशन ऑफ नॉन-परफोरमिंग लोन्स", *नीति वक्तव्य 24/21*, लंदन।

VI.17 जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर एक कार्यनीति तैयार करने के लिए, सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए 27 जुलाई, 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर एक चर्चा पत्र अपलोड किया गया था। इस संबंध में प्राप्त प्रतिपुष्टि के विश्लेषण के आधार पर, विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (8 फरवरी, 2023) में यह घोषणा की गई थी कि विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे:(i) हरित जमा की स्वीकृति के लिए व्यापक ढांचा; (ii) जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के संबंध में प्रकटीकरण ढांचा; और (iii) जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर मार्गदर्शन। इसके अलावा, नीति के एक भाग के रूप में यह भी घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक समर्पित वेबपेज होगा जो जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर सभी निर्देशों,

प्रेस विज्ञप्तियों, प्रकाशनों, भाषणों और संबंधित रिज़र्व बैंक की सूचनाओं को समेकित करेगा।

VI.18 10 अगस्त, 2022 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें डिजिटल उधार पर कार्य दल (डब्ल्यूजीडीएल) की सिफारिशों पर रिज़र्व बैंक के विनियामकीय रुख को विनिर्दिष्ट किया गया था।[3] इसके बाद 2 सितंबर, 2022 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें डब्ल्यूजीडीएल की सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किया गया। इसके अलावा, उपरोक्त परिपत्र के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करते हुए 14 फरवरी, 2023 को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट जारी किया गया था।

VI.19 ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए वित्तीय विवरणियों और प्रकटीकरण की प्रस्तुति पर दिशानिर्देश 20 फरवरी, 2023 को जारी किए गए थे।

VI.20 बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के नए प्रावधानों और उस पर यूसीबी के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से उत्पन्न मुद्दों जैसे प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम/निजी नियोजन और यूसीबी द्वारा प्रीमियम पर शेयर जारी करना तथा निवेशक संरक्षण और शिकायत निवारण के सहवर्ती विषयों पर विचार करने और सिफारिशें प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक कार्य दल का गठन किया गया है। कार्य दल ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित परिचालन/व्यावहारिक पहलुओं पर क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ सहभागिता सहित कई बैठकें की हैं।

VI.21 'परिचालनगत जोखिम प्रबंधन और परिचालनगत सुदृढ़ता' शीर्षक वाले मसौदा दिशानिर्देश नोट को उचित समय पर जनता की टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा।

VI.22 विभाग ने निम्नलिखित क्षेत्रों में दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और उन्हें जारी किए हैं: (क) 21 अप्रैल, 2022 को मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गमन और आचरण निदेश, 2022, जारी किया गया; (ख) शहरी सहकारी बैंकों के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा (19 जुलाई, 2022) जारी किए जाने के बाद आवास ऋण सीमाओं, निवल मूल्य और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) अपेक्षाओं, विनियामकीय प्रयोजनों के लिए यूसीबी का वर्गीकरण और यूसीबी को वित्तीय रूप से सुदृढ़ और बेहतर प्रबंधन (एफएसडब्ल्यूएम) हेतु वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड संबंधी परिपत्र जारी किए गए थे। शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की कतिपय अन्य सिफारिशों की जांच की जा रही है। निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की समीक्षा प्रगति पर है- (क) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा; (ख) कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं को विवेकपूर्ण ढांचे के अनुरूप बनाकर उनकी पुनर्संरचना; (ग) शहरी सहकारी बैंकों के लिए निवेश दिशा-निर्देश और वित्तीय विवरण प्रारूप; (घ) वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि प्रबंधन ढांचा दिशानिर्देश (ङ) निष्क्रिय खातों पर दिशानिर्देश और सभी बैंकों में अदावी जमाराशियों की केन्द्रीकृत खोज के लिए एक वेब पोर्टल का विकास; (च) अग्रिमों पर ब्याज दर के लिए रूपरेखा; (छ) निर्यात ऋण के लिए रूपरेखा; (ज) वाणिज्यिक बैंकों की लाभांश घोषणा नीति; और (झ) लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा।

प्रमुख उपलब्धियां

जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर सर्वेक्षण

VI.23 27 जुलाई, 2022 को जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर जनवरी 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए गए थे। सर्वेक्षण में भारत के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 16 निजी क्षेत्र के बैंकों और छह विदेशी बैंकों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण का उद्देश्य जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों

[3] ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर कार्य समूह (अध्यक्ष: श्री जे. के. दास, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई), की रिपोर्ट 18 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई थी।

के प्रबंधन में प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए दृष्टिकोण, तैयारी के स्तर और प्रगति का आकलन करना था।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना

VI.24 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना पर समिति की सिफारिशों के आधार पर, 7 अप्रैल, 2022 को सभी एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसमें डिजिटल बैंकिंग, डीबीयू, डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और डिजिटल बैंकिंग उप क्षेत्र की परिभाषाएं शामिल हैं तथा डीबीयू के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे और संसाधनों एवं डीबीयू द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया गया है। डीबीयू ग्राहकों को डिजिटल मोड/चैनल अपनाने के लिए सुविधा प्रदान करेंगे और डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे।

जीआईएफटी-आईएफएससी में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं के लिए विनियामकीय ढांचा - इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) आईएफएससी लिमिटेड के व्यावसायिक समाशोधन सदस्य (पीसीएम) के रूप में कार्य करना

VI.25 रिज़र्व बैंक ने आईआईबीएक्स पर समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) [जीआईएफटी-आईएफएससी] में भारतीय बैंकों की शाखाओं की भागीदारी के लिए विनियामकीय ढांचा निर्धारित किया है। ये अनुदेश घरेलू एससीबी (भारत में निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से काम करने वाले विदेशी बैंकों सहित) पर लागू होते हैं जो विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए अधिकृत हैं और जिनकी जीआईएफटी-आईएफएससी में एक शाखा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड में छूट

VI.26 आरआरबी को अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) सुविधा प्रदान करने की अनुमति है, जिसमें केवल या तो दृश्य अधिकार या रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन के पश्चात लेनदेन और दृश्य अधिकार दोनों हैं। लेन-देन सुविधा के साथ आईएनबी के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाले आरआरबी के कम अनुपात को ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय मानदंडों में विभिन्न छूट प्रदान करते हुए अनुदेशों को संशोधित किया गया है।

रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपडेट - प्रस्तुति और प्रकटीकरण निर्देश, 2021

VI.27 *बैंक के तुलन पत्र के आधार पर रिज़र्व बैंक के साथ रिवर्स रेपो की रिपोर्टिंग:* तुलन पत्र में रिवर्स रेपो की प्रस्तुति पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित रिज़र्व बैंक के पास सभी प्रकार के रिवर्स रेपो को अनुसूची 6 की मद (II) 'भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा राशि' की उप-मद (ii) 'अन्य खातों में' के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

VI.28 *आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण:* सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के विवरण का प्रकटन करने के लिए सीमाएं निम्नानुसार संशोधित की गई हैं: (i) अतिरिक्त सकल एनपीए के लिए यदि यह संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील एनपीए के पांच प्रतिशत से अधिक है; और (ii) एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान के लिए यदि यह संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ का पांच प्रतिशत है। इसके अलावा, विचलन के लिए यूसीबी के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाओं को 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष और उसके बाद के वार्षिक वित्तीय विवरणों के लिए भी लागू किया गया है।

VI.29 *प्रमुख मदों का प्रकटीकरण:* अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक अपने लेखा नोट में ऐसी सभी मदों के विवरणों का प्रकटन भी करेंगे जहां अनुसूची 5 (IV) - अन्य देयताएं और प्रावधान - 'अन्य (प्रावधानों सहित)' या अनुसूची 11 (VI) - अन्य आस्तियां - 'अन्य' के अंतर्गत मान कुल आस्ति

के एक प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, भुगतान बैंकों को अपने लेखा नोट में ऐसी सभी मदों के विवरण का भी प्रकटन करना होगा, जहां अनुसूची 14 (I) - अन्य आय - 'कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज' कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है।

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में एसएलआर होल्डिंग की समीक्षा

VI.30 कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ, बैंकों को 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2022 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में एनडीटीएल के 19.5 प्रतिशत से एचटीएम श्रेणी में एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए एनडीटीएल के 22 प्रतिशत तक की सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी। बैंकों को एचटीएम के तहत 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2024 के बीच अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों को एनडीटीएल की 23 प्रतिशत की बढ़ी हुई समग्र सीमा के भीतर शामिल करने की अनुमति दी गई है।

अर्हताप्राप्त वित्तीय करारों का द्विपक्षीय निवल राशि निर्धारण – विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन

VI.31 आरई को अर्हताप्राप्त वित्तीय संविदाओं (ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी और रेपो संविदाओं) के लिए द्विपक्षीय निवल राशि निर्धारण ढांचे के अंतर्गत निवल आधार पर प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम की गणना करने की अनुमति दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, प्राप्त संदर्भों के आधार पर, यह स्पष्ट किया गया था कि (i) विदेशी मुद्रा (सोने को छोड़कर) संविदाओं के लिए छूट, जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम है, को प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम के बदले पूंजी आवश्यकताओं से अब से केवल आरआरबी, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) और सहकारी बैंकों पर लागू होगी, जहां बैंक ने द्विपक्षीय निवल राशि निर्धारण ढांचे को नहीं अपनाया है; (ii) बेचे गए विकल्पों को छूट दी जा सकती है बशर्ते वे निवल राशि निर्धारण और मार्जिन करारों से बाहर हों; (iii) ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) विक्रेता द्वारा अपने क्रेता को दिए जाने वाले निवेश को प्रीमियम अवैतनिक राशि पर सीमित किया जा सकता है बशर्ते सीडीएस विधिक निवल राशि निर्धारण मार्जिन करारों से बाहर हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) निदेश, 2022

VI.32 इस विषय पर मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई और संशोधनों/स्पष्टीकरणों सहित इस विषय पर सभी मौजूदा अनुदेशों (अक्तूबर, 1999 से) को निदेशों में समेकित किया गया। अनुपालन बोझ को स्पष्टता प्रदान करने/कम करने के लिए किए गए कुछ प्रमुख परिवर्तनों में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* कुछ संस्थाओं के लिए यूएफसीई से फैक्टरिंग लेनदेन को बाहर करना; और बैंकिंग प्रणाली से कुल एक्सपोजर के आधार पर छोटी संस्थाओं के लिए सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर) करना शामिल है। ऐसी छोटी इकाइयों के लिए, बैंकों को समय-समय पर हेजिंग जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन निर्देशों की पृष्ठभूमि प्रदान करने वाला एक व्याख्यात्मक नोट भी जारी किया गया था।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 और धारा 56

VI.33 2018 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम की संशोधित धारा 17 ने रिज़र्व बैंक को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) - बिना किसी संपार्श्विक के चलनिधि को अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त साधन शुरू करने का अधिकार दिया । यह निर्णय लिया गया है कि एसडीएफ के तहत रिज़र्व बैंक के पास बैंकों द्वारा रखी गई जमा शेष राशि एक अर्हताप्राप्त सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) आस्ति है।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)/एसएलआर बनाए रखने से छुट- विदेशी मुद्रा अनिवासी [(एफसीएनआर (बी)/अनिवासी बाह्य (एनआरई)] मीयादी जमा - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24

VI.34 6 जुलाई, 2022 को घोषित विदेशी मुद्रा बाजार उपायों के एक भाग के रूप में, बैंकों को सूचना दी गई थी कि 30 जुलाई,

2022 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से, 4 नवंबर, 2022 तक बैंकों द्वारा जुटाई गई 1 जुलाई, 2022 की आधार तिथि के संदर्भ में वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमा और एनआरई सावधि जमा को सीआरआर और एसएलआर के बनाए रखने से छूट दी जाएगी। आरक्षित राशि बनाए रखने पर छूट मूल जमा राशि के लिए तब तक उपलब्ध होगी जब तक कि उक्त जमाराशि बैंक खातों में जमा नहीं हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप, 1 जुलाई, 2022 की तुलना में 4 नवंबर, 2022 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जुटाई गई एफसीएनआर (बी) और एनआरई मीयादी जमाओं में प्रतिशत में (लगभग 2 प्रतिशत) मामूली निवल वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, एफसीएनआर (बी) जमाओं पर लागू ब्याज दर की सीमा को बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमाओं के लिए अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। बैंकों द्वारा जुटाई गई वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों के संबंध में मौजूदा प्रतिबंध को भी अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। उपरोक्त रियायतें 7 जुलाई, 2022 से 31 अक्तूबर, 2022 तक प्रभावी थीं।

बैंकों द्वारा प्रावधान के लिए अपेक्षित ऋण हानि ढांचे पर चर्चा पत्र जारी

VI.35 30 सितंबर, 2022 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुरूप, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 16 जनवरी, 2023 को बैंकों द्वारा प्रावधान के लिए अपेक्षित ऋण हानि ढांचे पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्रस्तावित दृष्टिकोण में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, विनियामकीय बैकस्टॉप द्वारा समर्थित सिद्धांत-आधारित दिशानिर्देश तैयार करना है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत बैंकों के लिए मुख्य आवश्यकता यह होगी कि वे प्रारंभिक निर्धारण के समय और साथ ही बाद की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन किए गए ऋण हानि के आधार पर, वित्तीय आस्तियों को तीन श्रेणियों - चरण 1, चरण 2, और चरण 3, में से एक में वर्गीकृत करें और आवश्यक प्रावधान करें। इसके अलावा, आरआरबी और छोटे सहकारी बैंकों (टिप्पणियों के आधार पर तय की जाने वाली सीमा) को उपरोक्त ढांचे से बाहर रखने का प्रस्ताव है।

बोर्ड पर परिपत्र अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - यूसीबी

VI.36 यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूसीबी की ऋण नीतियों में व्यापक कवरेज है, मौजूदा विनियमों के अनुरूप है और उनकी अनुमोदित आंतरिक जोखिम क्षमता को दर्शाता है, यूसीबी को सूचित किया गया[4] कि बैंक की ऋण नीति की समीक्षा उनके बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी।

संशोधित विनियामकीय ढांचा – विनियामकीय उद्देश्यों के लिए यूसीबी का वर्गीकरण

VI.37 यूसीबी पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री एन एस विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, रिज़र्व बैंक) की सिफारिशों के आधार पर, यूसीबी की वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने के उद्देश्य से विभेदित विनियामक विधि के साथ उनके जमा आकार के आधार पर यूसीबी के वर्गीकरण के साथ 4-स्तरीय नियामक ढांचे को अपनाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 19 जुलाई, 2022 को जारी यूसीबी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचे के अंतर्गत यूसीबी को विनियामकीय उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित चार लेयरों में वर्गीकृत किया गया है: (क) टियर 1 - सभी यूनिट यूसीबी और वेतन भोगियों के यूसीबी (जमा आकार से परे) और अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपये तक जमा है; (ख) टियर 2 - 100 करोड़ रुपये से अधिक और 1,000 करोड़ रुपये तक की जमा राशि वाले यूसीबी; (ग) टियर 3- यूसीबी जिनकी जमा राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और 10,000 करोड़ रुपये तक है; और (घ) टियर 4 - 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले यूसीबी।

[4] 'बोर्ड अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - यूसीबी' पर अधिसूचना 26 जुलाई 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई थी।

व्यक्तिगत आवास ऋण - यूसीबी और आरसीबी के लिए सीमा में वृद्धि

VI.38 आवास की कीमतों में वृद्धि और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) *अर्थात* राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा स्वीकृत आवास ऋणों की सीमा बढ़ा दी गई थी।[5] 100 करोड़ रुपये से कम अनुमानित निवल मालियत वाले आरसीबी के लिए प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये (पहले 20 लाख रुपये) और अन्य आरसीबी के लिए ₹ 75 लाख (पहले ₹ 30 लाख) कर दिया गया था। टियर I और टियर II में यूसीबी के लिए सीमा को लागू विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा के अंतर्गत क्रमशः ₹ 60 लाख (पहले ₹ 30 लाख) और ₹ 140 लाख (पहले ₹ 70 लाख) प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता रखी गई । यूसीबी पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार, यूसीबी के वर्गीकरण के लिए एक चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचा अपनाया गया था, जिसे 1 दिसंबर, 2022 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, यूसीबी द्वारा व्यक्तिगत उधारकर्ता को स्वीकृत आवास ऋण की सीमा को टियर -1 यूसीबी के लिए 60 लाख रुपये और टियर 2 से 4 में वर्गीकृत यूसीबी के लिए 140 लाख रुपये के रूप में पुनर्वर्गीकृत[6] किया गया था।

ग्रामीण सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) को वाणिज्यिक स्थावर संपदा - आवासीय मकान (सीआरई-आरएच) के लिए ऋण देने की अनुमति

VI.39 ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीसीबी) *अर्थात्* एसटीसीबी और डीसीसीबी को वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) का वित्तपोषण करने की अनुमति नहीं थी। तथापि, किफायती आवास की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आवास क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए, आरसीबी को आवधिक निष्पादन निगरानी के साथ अपनी बोर्ड-अनुमोदित नीति के अनुसार अपनी कुल आस्तियों के पांच प्रतिशत की मौजूदा सकल आवास वित्त सीमा के भीतर सीआरई-आरएच क्षेत्र को वित्त प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।[7]

आवास वित्त पर परिपत्र - मरम्मत / परिवर्धन / परिवर्तन के लिए ऋण - यूसीबी के लिए सीमा में वृद्धि

VI.40 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तियों को उनकी आवासीय इकाइयों की मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन करने के लिए दिए गए ऋणों की अधिकतम सीमा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमा के अनुरूप महानगरीय केंद्रों (10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्रों) में 10 लाख रुपये और अन्य केंद्रों में 6 लाख रुपये तक संशोधित किया गया था।[8]

ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) की शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन

VI.41 रिज़र्व बैंक द्वारा 19 अप्रैल, 2022 के परिपत्र के माध्यम से पूंजीगत निधियों के निर्गम और विनियमन पर आरसीबी के लिए लागू अनुदेशों की समीक्षा की गई थी ताकि बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों में पूंजीगत लिखत जारी करने के लिए शर्तों के साथ-साथ आरसीबी के लिए शेयर पूंजी की निकासी के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं, और उन्हें अधिमान शेयर जारी करके पूंजी जुटाने की अनुमति भी दी गई है।

[5] 8 जून 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर यूसीबी के लिए एक परिपत्र 'व्यक्तिगत आवास ऋण - सीमा में वृद्धि और आरसीबी के लिए एक परिपत्र' 'व्यक्तिगत आवास ऋण और वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋण की सीमा में वृद्धि - आवासीय मकान (सीआरई-आरएच) के लिए ऋण' जारी किये गए थे।

[6] 'व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय नियामक ढांचे के तहत संशोधित सीमा' पर परिपत्र 30 दिसंबर 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था।

[7] रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 8 जून 2022 को 'व्यक्तिगत आवास ऋण और वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋण की सीमा में वृद्धि - आवासीय मकान (सीआरई-आरएच)' पर परिपत्र जारी किया गया था।

[8] 24 मई 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 'आवास वित्त - मरम्मत/ परिवर्धन / परिवर्तन के लिए ऋण - सीमाओं में वृद्धि' पर परिपत्र जारी किया गया था।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्तता

VI.42 1 दिसंबर, 2022 को "शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता" पर एक परिपत्र जारी किया गया था। इसमें दर्शाए अनुसार, एक जिले में कार्यरत टियर-1 यूसीबी के लिए 2 करोड़ रुपये और अन्य सभी यूसीबी के लिए 5 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल मालियत निर्धारित की गई है। इसके अलावा टियर-1 बैंकों के लिए न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता को 9 प्रतिशत के वर्तमान सीमा पर बरकरार रखा गया है, जबकि टियर -2 से 4 यूसीबी के लिए, सीआरएआर आवश्यकता को संशोधित कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। संशोधित निवल मालियत और/या सीआरएआर आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले यूसीबी को एक मध्यवर्ती लक्ष्य की शर्त के साथ एक उपयुक्त ग्लाइड पथ प्रदान किया गया है। इसके अलावा, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को अब नियमों और शर्तों के अधीन टियर -1 पूंजी के रूप में गणना करने की अनुमति दी गई है।

पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 – अंतर बैंक एक्सपोजर और स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) और इक्विटी वारंट के मूल्यांकन पर प्रावधान

VI.43 पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 के परिणामस्वरूप स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) और इक्विटी वारंट में यूसीबी के निवेश के लिए प्रावधान की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया। तदनुसार, यूसीबी को दो वित्तीय वर्षों में समान रूप से परिणामी प्रावधानों को विस्तारित की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, पीएनसीपीएस में निवेश और इक्विटी वारंट को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू विवेकपूर्ण सीमाओं से छूट दी गई थी।

यूसीबी द्वारा बैंकिंग आपके द्वार सेवाएं

VI.44 आरई में विनियामकीय ढांचे के सामंजस्य को प्राप्त करने और ग्राहकों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए, 'वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम)' मानदंडों को पूरा करने वाले यूसीबी को 8 जून, 2022 को जारी परिपत्र के माध्यम से रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपने ग्राहकों को बैंकिंग आपके द्वार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। तथापि, गैर-एफएसडब्ल्यूएम यूसीबी को बैंकिंग आपके द्वार सेवाएं प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

डीसीसीबी द्वारा नए स्थान पर व्यापार आरंभ करना

VI.45 29 सितंबर, 2020 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के अनुसरण में, डीसीसीबी को रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही नए स्थान पर व्यवसाय करने, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति है। तदनुसार, 11 अगस्त, 2022 को नए स्थान पर व्यापार आरंभ करने या एटीएम की स्थापना के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें डीसीसीबी द्वारा आवेदन जमा करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। मानदंडों को पूरा करने वाले डीसीसीबी को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात नए स्थान पर व्यवसाय आरंभ करने की अनुमति है। डीसीसीबी को मानदंडों को पूरा करने के अधीन रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति के बिना ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम स्थापित करने की भी अनुमति है, जिसकी सूचना ऑफ-साइट/मोबाइल एटीएम के प्रचालन के तुरंत बाद रिज़र्व बैंक को दी जानी चाहिए।

वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) के रूप में यूसीबी के वर्गीकरण के लिए मानदंडों की समीक्षा

VI.46 विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा यूसीबी के लिए जारी संशोधित विनियामकीय ढांचे के अनुसरण में, 1 दिसंबर, 2022 को एफएसडब्ल्यूएम के रूप में यूसीबी के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंडों पर एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार ऐसे यूसीबी को *अन्य बातों के साथ-साथ* संदर्भ तिथि को उनके द्वारा बनाए जाने वाले न्यूनतम सीआरएआर की तुलना में एक प्रतिशत अधिक सीआरएआर बनाए रखना आवश्यक है। इसके अलावा, यूसीबी

को अब आकलित वित्तीय और रिज़र्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट या लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों, जो भी नवीनतम हो, के निष्कर्षों के आधार पर इस संशोधित एफएसडब्ल्यूएम मानदंड के आधार पर स्वयं को एफएसडब्ल्यूएम के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए स्केल-आधारित विनियमन

VI.47 एनबीएफसी के लिए एक एकीकृत और स्केल-आधारित विनियामकीय ढांचा 22 अक्तूबर, 2021 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) में वर्गीकृत एनबीएफसी को अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के कम से कम 9 प्रतिशत की सामान्य इक्विटी टियर -1 (सीईटी -1) पूंजी में बनाए रखने की आवश्यकता है। इस ढांचा के प्रावधानों के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सभी एनबीएफसी-यूएल (मूल निवेश कंपनियों को छोड़कर) पर लागू सीईटी -1 पूंजी के घटकों के साथ-साथ विनियामकीय समायोजन पर विस्तृत अनुदेश प्रदान करने वाले दिशानिर्देश 19 अप्रैल, 2022 को जारी किए गए थे।

अपर लेयर वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की पहचान

VI.48 वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आकार, जटिलता और अंतर्संबंधों के दृष्टिकोण से एनबीएफसी के विकास को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2021 में एनबीएफसी के लिए एक स्केल-आधारित विनियमन लागू किया था ताकि एनबीएफसी के लिए नियमों को उनके बदलते जोखिम प्रोफाइल के साथ संरेखित किया जा सके। यह ढांचा एनबीएफसी को बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल), मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल), अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) और टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल) में वर्गीकृत करता है और कहता है कि अपर लेयर में वे एनबीएफसी शामिल होंगे जिन्हें विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा ढांचे में निर्धारित मापदंडों और स्कोरिंग पद्धति के आधार पर पहचाना जाता है और परिकल्पना की गई है कि उनके आस्ति आकार के अनुसार शीर्ष दस एनबीएफसी हमेशा अपर लेयर में रहेंगे। इस उद्देश्य के लिए, एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार पहचाने गए 16 एनबीएफसी-यूएल की एक सूची 30 सितंबर, 2022 को जारी की गई थी।

स्केल-आधारित विनियमन के तहत मिडिल लेयर के किसी एक समूह-वर्गीकरण में एकाधिक एनबीएफसी पर परिपत्र

VI.49 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) पर मास्टर निदेश में निहित अनुदेशों के अनुसार, यदि एक ही समूह के भीतर सभी एनबीएफसी का समेकित आस्ति आकार 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक था, तो समूह में जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी को एनबीएफसी-एनडी-एसआई के रूप में वर्गीकृत किया गया था, भले ही उनकी व्यक्तिगत आस्ति का आकार कुछ भी हो। इसी आधार पर स्केल-आधारित विनियामकीय (एसबीआर) ढांचे (1 अक्तूबर, 2022 से लागू) के तहत, यह सूचित[9] किया गया था कि 'समूह' में सभी एनबीएफसी की कुल आस्तियों को मिडिल लेयर में एनबीएफसी के वर्गीकरण के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए समेकित किया जाएगा। एसबीआर ढांचे के अनुसार यह सीमा वर्तमान में 1000 करोड़ रुपये है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क – अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)

VI.50 अपर लेयर में एनबीएफसी के लिए वृहत एक्सपोजर ढांचे (एलईएफ) को एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था।[10] एनबीएफसी-यूएल के लिए निर्धारित एलईएफ का सारांश सारणी VI.1 में दिया गया है।

[9] 'एक समूह में एकाधिक एनबीएफसी: मिडिल लेयर में वर्गीकरण' पर परिपत्र 11 अक्तूबर 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था।

[10] 19 अप्रैल 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बड़े एक्सपोजर ढांचे - अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)' पर परिपत्र जारी किया गया था।

सारणी VI.1 एनबीएफसी के लिए बड़ा एक्सपोजर ढांचा - अपर लेयर

निम्नलिखित को सभी एक्सपोजर मूल्य का योग	अर्हताप्राप्त पूंजी आधार के प्रतिशत के रूप में बड़ी एक्सपोजर सीमा	
	अवसंरचना वित्त कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी	अवसंरचना वित्त कंपनियां
1	2	3
एकल प्रतिपक्षकार	• 20 प्रतिशत। • बोर्ड की मंजूरी के साथ अतिरिक्त 5 प्रतिशत। • अवसंरचना ऋण/निवेश के लिए निवेश पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत (एकल प्रतिपक्षकार सीमा किसी भी मामले में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)।	• 25 प्रतिशत। • बोर्ड की मंजूरी के साथ अतिरिक्त 5 प्रतिशत।
संबंधित प्रतिपक्षकार का समूह	• 25 प्रतिशत। • अवसंरचना ऋण/निवेश के लिए एक्सपोजर पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत।	• 35 प्रतिशत।

स्रोत: आरबीआई।

ऋण और अग्रिम से संबंधित अनुदेश - विनियामकीय प्रतिबंध - एनबीएफसी

VI.51 मिडिल और अपर लेयरों के एनबीएफसी के अभिशासन में सुधार हेतु अनुदेश जारी किए गए थे[11] जिसमें निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और संबद्ध संस्थाओं को ₹5 करोड़ और उससे अधिक के ऋण स्वीकृत करने के लिए एनबीएफसी के बोर्ड/ निदेशकों की समिति को अधिकृत किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए ऋणों की सूचना बोर्ड को देनी होती है। बेस लेयर के एनबीएफसी के लिए, यह अनिवार्य किया गया है कि उनके पास इस तरह के ऋण देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए। स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए ऋण के संबंध में, मिडिल और अपर लेयरों के एनबीएफसी के नियमों को बैंकों पर लागू नियमों के अनुरूप बनाया गया है और यह अधिदेशित किया गया है कि एनबीएफसी यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए सरकार/ स्थानीय सरकार/ अन्य सांविधिक प्राधिकरण से, जहाँ भी आवश्यक हो, यथा-आवश्यक पूर्वानुमति प्राप्त कर ली है।

एनबीएफसी में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक से संबंधित दिशानिर्देश, दिनांक 29 अप्रैल 2022

VI.52 दिनांक 29 अप्रैल 2022 को रिज़र्व बैंक ने प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और एनबीएफसी के वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट जारी किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना आवश्यक है, जो पारिश्रमिक नीति तैयार करने, समीक्षा करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। ये दिशानिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करते हैं कि निश्चित और परिवर्तनशील वेतन वाले पारिश्रमिक पैकेज को सभी प्रकार के जोखिमों के लिए समायोजित किया जा सकता है। परिवर्तनीय वेतन के एक निश्चित हिस्से में आस्थगन व्यवस्था हो और आस्थगन वेतन मैलस/ क्लॉबैक व्यवस्था के अधीन हो।

एनबीएफसी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) का स्वैच्छिक अभ्यर्पण

VI.53 एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सीओआर के स्वैच्छिक निरसन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, स्वेच्छा से सीओआर अभ्यर्पित करने को इच्छुक एनबीएफसी/ एचएफसी के बीच जानकारी के प्रसार हेतु, 1 दिसंबर 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक प्रेस प्रकाशनी (आवेदन पत्र और मूल दस्तावेजों की जाँच-सूची सहित) जारी की गई थी। संबंधित एनबीएफसी अब, विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र और स्वैच्छिक निरसन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ, रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं जिसके अधिकार-क्षेत्र में वे पंजीकृत हैं जबकि, एचएफसी अपने आवेदन को दस्तावेजों के

[11] 19 अप्रैल 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 'ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - एनबीएफसी' पर पहला परिपत्र जारी किया गया।

साथ राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण - एनबीएफसी के खातों पर टिप्पणियां

VI.54 एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन ढांचे की शुरूआत के बाद, एक्सपोजर (पूंजी बाजार, क्षेत्रीय और स्थावर संपदा), संबंधित पार्टी लेनदेन, शिकायतों, आस्ति वर्गीकरण में विचलन और प्रावधानीकरण, कॉरपोरेट अभिशासन, आदि जैसे क्षेत्रों पर विशेष एनबीएफसी लेयरों के लिए विशिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही, एनबीएफसी के बेस लेयरों पर लागू होने वाली प्रकटीकरण अपेक्षाएँ अपर लेयरों वाली एनबीएफसी पर भी लागू होंगी।

डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश

VI.55 तीसरे पक्षों का अनियंत्रित नियोजन, कपटपूर्ण बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनुचित व्यापार आचरण, अत्यधिक ब्याज-दरों पर वसूली, और अनैतिक वसूली प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली चिंताओं को दूर करने के लिए 2 सितंबर 2022 को 'डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश' जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि ऋण देने का व्यवसाय केवल उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो या तो रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित हैं या जिन्हें किसी अन्य कानून के तहत ऐसा करने की अनुमति प्राप्त है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच केवल उनके बैंक खातों के माध्यम से - बिना किसी तीसरे पक्ष के पास-थ्रू खाते/ पूल खाते के - धन-प्रवाह को अनिवार्य कर, ऋण देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना; (ii) यह सुनिश्चित करना कि ऋण सेवा प्रदाता सीधे ग्राहक से कोई शुल्क/ प्रभार नहीं वसूले; (iii) उधारकर्ता के समक्ष, सर्व-समावेशी लागत सहित उधार व्यवस्था के प्रमुख तथ्यों का पारदर्शी प्रकटीकरण; (iv) स्पष्ट ग्राहक सहमति द्वारा समर्थित ऑडिट ट्रेल्स के साथ डेटा का जरूरत-आधारित संग्रह सुनिश्चित करना; और (v) ग्राहक डेटा के संबंध में उचित गोपनीयता नीति लागू करना, है।

एनबीएफसी और यूसीबी के उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई अभिज्ञापक (एलईआई) से संबंधित दिशानिर्देशों का विस्तार

VI.56 एलईआई दिशानिर्देश यूसीबी और एनबीएफसी तक विस्तारित[12] किए गए थे। इसके अलावा, वह सीमा, जिसके ऊपर सभी गैर-व्यक्ति उधारकर्ताओं को एलईआई प्राप्त करने की आवश्यकता थी, को ₹50 करोड़ से घटाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया। तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई), स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सभी गैर-व्यक्ति उधारकर्ताओं, जिनका कुल जोखिम ₹5 करोड़ और उससे अधिक है, को अब चरणबद्ध तरीके से एलईआई प्राप्त करना अनिवार्य है।

बैंकों द्वारा चालू खाते और नकदी ऋण (सीसी)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) खाते खोला जाना – विषय पर समेकित परिपत्र जारी करना

VI.57 उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन लागू करने और उधारदाताओं को बेहतर निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 6 अगस्त 2020 को 'बैंकों द्वारा चालू खाते खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता' विषय पर एक परिपत्र जारी किया गया था। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर बाद में, 2 नवंबर 2020; 14 दिसंबर 2020; 4 अगस्त 2021 और 29 अक्टूबर 2021 को परिपत्र जारी किए गए। अनुदेशों में स्पष्टता लाने और सभी अनुदेशों को एक स्थान पर रखने हेतु, सभी मौजूदा अनुदेशों को समेकित करते हुए इस विषय पर एक स्वत:पूर्ण परिपत्र जारी किया गया था[13]।

[12] 21 अप्रैल 2022 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 'उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई अभिज्ञापक (एलईआई)' पर अधिसूचना जारी की गई।

[13] बैंकों द्वारा चालू खाते और सीसी/ओडी खाते खोलने' पर समेकित परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 19 अप्रैल 2022 को जारी किया गया।

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में कुल हिस्से की सीमा की समीक्षा

VI.58 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत अनुमेय ड्रॉडाउन को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने के कारण, बैंकों को, अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) की अपेक्षा के भीतर, स्तर-1 उच्च गुणवत्ता वाले चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को, उनके एनडीटीएल के मौजूदा 15 प्रतिशत की सीमा से 16 प्रतिशत तक, के रूप में आकलित करने की अनुमति दी गई थी ताकि एनडीटीएल का 18 प्रतिशत (2 प्रतिशत एमएसएफ और 16 प्रतिशत एफएएलएलसीआर) की एलसीआर अपेक्षा को पूरा करने हेतु एचक्यूएलए हिस्से को, न्यूनतम एसएलआर से बाहर बनाए रखा जा सके।

एलसीआर के लिए स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत, रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की एकदिवसीय जमाराशि का रखरखाव

VI.59 एसडीएफ को अप्रैल 2022 में चालू किया गया था, जिसके अनुसार पात्र प्रतिभागी रिज़र्व बैंक में एकदिवसीय आधार पर जमाराशि रख सकते हैं और इस तरह की शेष जमाराशि को एसएलआर की गणना के लिए पात्र आस्ति के रूप में विचार किया जाता है। यह स्पष्ट किया गया था कि एसडीएफ के तहत रिज़र्व बैंक के पास बैंकों द्वारा धारित ओवरनाइट जमाराशि राशि एलसीआर की गणना के लिए एचक्यूएलए स्तर-1 के रूप में पात्र होगी।

वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग - वसूली एजेंटों को नियुक्त करने वाली विनियमित संस्थाओं (आरई) की जिम्मेदारियां

VI.60 रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा नियोजित वसूली एजेंटों (आरए) से संबंधित मुद्दों का समाधान करता रहा है। आरए द्वारा अपनाई जाने वाली अस्वीकार्य प्रथाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने आरई को अतिरिक्त निर्देश जारी किए। इसके अलावा, और अधिक विनियमित संस्थाओं को कवर करने के लिए दिशानिर्देशों का दायरा बढ़ाया गया और अतिदेय ऋण की वसूली के लिए उधारकर्ताओं को कॉल करने के अनुमत घंटे निर्धारित किए (8:00 बजे पूर्वाह्न से पहले और 7:00 बजे अपराह्न के बाद नहीं)। विनियमित संस्थाओं को यह भी सख्ती से सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे या उनके वसूली एजेंट अपने ऋण वसूली के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा न लें, जिसमें, कर्ज़दारों के परिवार के सदस्य, रेफरी और दोस्त को सार्वजनिक रूप से अपमानित या उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप के इरादे से उत्पन्न कार्य, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, शामिल हैं। इन अनुदेशों को सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों को छोड़कर), एआईएफआई, एनबीएफसी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी और एआरसी पर लागू किया गया था। हालांकि, ये अनुदेश 14 मार्च 2022 को जारी 'मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋण के लिए विनियामक ढांचा) निदेश, 2022' के तहत शामिल सूक्ष्मवित्त ऋण पर लागू नहीं हैं।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

VI.61 वित्तीय प्रणाली में अच्छी-खासी अनर्जक आस्तियों के संचय (एनपीए) और एआरसी के कार्य-निष्पादन से संबंधित चिंताओं की पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ एआरसी पर लागू मौजूदा कानूनी और विनियामक ढांचा की समीक्षा और उसकी प्रभाविता बढ़ाने के उपायों की सिफारिश के लिए एक बाहरी समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों और हितधारकों से मिले फीडबैक के आधार पर, 11 अक्टूबर 2022 के परिपत्र के माध्यम से एआरसी के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई है। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य एआरसी क्षेत्र में संरचनात्मक मुद्दों को ठीक कर दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में अधिक सार्थक भूमिका निभाने में एआरसी को सक्षम बनाना है। एआरसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे में शुरू किए गए उपाय मोटे तौर

पर निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रेरित हैं: (i) एआरसी के लिए एक व्यापक कॉरपोरेट अभिशासन ढांचा शुरू करना और इस प्रकार उनकी विवेकपूर्ण कार्यप्रणाली को मजबूत बनाना, (ii) एआरसी की पारदर्शिता बढ़ाना और इस प्रकार उन्हें निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाना, (iii) एआरसी के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को मजबूत करना, इस प्रकार उनकी वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार करना, और (iv) उपयुक्त विनियामक सक्षमता के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उनकी भूमिका में वृद्धि लाना।

एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) द्वारा गतिविधियों का विविधीकरण

VI.62 प्राथमिक व्यापारियों के रूप में काम कर रहे बैंकों के बराबर बाजार निर्माताओं के रूप में एसपीडी की भूमिका को मजबूत करने की दृष्टि से, एसपीडी को दिनांक 11 अक्टूबर 2022 के अनुदेशों के माध्यम से वे सभी विदेशी मुद्रा बाजार-व्यवस्था सुविधाएं प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई है जैसा वर्तमान में श्रेणी- I अधिकृत व्यापारियों को अनुमति प्राप्त है। इससे विदेशी मुद्रा ग्राहकों को उनके मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु उपलब्ध बाजार निर्माताओं में विविधता आएगी और बाजार में एसपीडी की व्यापक उपस्थिति से प्राथमिक व्यापारिक गतिविधियों की उनकी क्षमता बेहतर होगी।

खाता एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को शामिल करना

VI.63 एमएसएमई को नकदी प्रवाह-आधारित ऋण देने की सुविधा के लिए, 23 नवंबर 2022 को परिपत्र जारी कर जीएसटीएन को एए ढांचे के तहत एफआईपी के रूप में शामिल किया गया है। राजस्व विभाग, भारत सरकार, जीएसटीएन का विनियामक होगा। इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए और दो जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर), फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी, को वित्तीय जानकारी के रूप में शामिल किया गया है।

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन के लिए संशोधित विनियामक ढांचा

VI.64 बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपये में मूल्यवर्गीकृत सह-ब्रांडेड और प्री-पेड कार्ड के परिचालनों पर मास्टर परिपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2015, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपये में मूल्यवर्गीकृत सह-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड पर अनुदेशों, को समेकित कर जारी किया गया। इन निदेशों को मास्टर निदेश : क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करना और कार्य-आचरण, के रूप में अद्यतन और जारी किया गया है। रिज़र्व बैंक ने उन क्षेत्रों को मजबूत करने का प्रयास किया है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे- अवांछित कार्ड जारी करना, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करना, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए क्रेडिट कार्ड शुरू करना, बिलिंग के मुद्दे, क्रेडिट लेनदेन का समायोजन, नए कारक, सह-ब्रांडेड व्यवस्था और कपटपूर्ण बिक्री से संबंधित मुद्दे। इनमें से कई पहलुओं को शिकायतों, आरआईए प्रश्नों, मीडिया रिपोर्टों, सार्वजनिक और उपभोक्ता निकाय अभ्यावेदन के सुझावों में रेखांकित किया जा रहा था।

विदेशी अधिकार-क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में भारतीय बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन – सांविधिक/ विनियामकीय मानदंडों का अनुपालन

VI.65 विदेशी अधिकार-क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में अपनी शाखाओं/ सहायक कंपनियों के माध्यम से, वित्तीय डेरिवेटिव में काम करने वाले - जिसमें संरचित डेरिवेटिव उत्पाद शामिल हैं - कार्यशील भारतीय बैंकों/ एआईएफआई के लिए एक ढांचा लागू किया गया है।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - सीआरआर / एसएलआर के रखरखाव के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण

VI.66 किसी बैंक द्वारा प्रदत्त कोई संबद्ध ऋण के कारण, गारंटी लागू करने की स्थिति में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी

कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावों का लंबित समायोजन सीआरआर/ एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना हेतु 'देयता' के रूप में माना जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि गारंटियों को लागू करने से संबंधित दावों के संबंध में, एनसीजीटीसी से किसी बैंक को प्राप्त राशि और संबंधित अग्रिमों से उसका लंबित समायोजन, सीआरआर और एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना के उद्देश्य हेतु बाह्य देयता न माना जाए।

मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण और धारण अथवा वोटिंग अधिकार) निदेश, 2023

VI.67 26 नवंबर 2021 को एक प्रेस प्रकाशनी प्रकाशित की गई थी जिसमें, भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व और कॉरपोरेट संरचना पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) द्वारा की गई 33 सिफारिशों में से, 21 सिफारिशों (कुछ आंशिक संशोधनों के साथ, जहां आवश्यक हो) को - इस अधिसूचना के साथ कि अनुदेशों/ परिपत्रों/ मास्टर निदेशों/ अनुज्ञप्ति दिशानिर्देशों में परिणामी संशोधन यथासमय किए जाएँगे - प्रकाशित किया गया था। तदनुसार, 16 जनवरी 2023 को प्रमुख शेयरधारकों के लिए एक मास्टर निदेश (एमडी) और दिशानिर्देश (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण और धारण अथवा वोटिंग अधिकार) जारी किया गया था, जिसमें बैंकिंग कंपनियों में शेयरधारिता और मतदान के अधिकार से संबंधित तीन मास्टर निदेशों (एमडी)[14] को एकीकृत किया गया था। एमडी/ दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, किए गए बड़े बदलावों में शेयरधारकों के विभिन्न श्रेणियों द्वारा अनुमेय शेयरधारिता की सीमा में अद्यतन, प्रमोटर द्वारा शेयरों की भारिता के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की शुरूआत, और एक बैंकिंग कंपनी के प्रमुख शेयरधारक की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति की निरंतर निगरानी के लिए व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।

दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र

VI.68 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (30 सितंबर 2022) के एक हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने एआरसी मार्ग के अलावा दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव दिया था। तदनुसार, 25 जनवरी 2023 को दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क (एसएसएएफ) पर एक चर्चा पत्र (डीपी) जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। यह चर्चा पत्र मोटे तौर पर ढांचे के नौ प्रासंगिक क्षेत्रों को शामिल करता है जिसमें आस्ति क्षेत्र, आस्ति पात्रता, न्यूनतम जोखिम प्रतिधारण, विशेष प्रयोजन इकाई और समाधान प्रबंधक के लिए विनियामक ढांचा और समाधान प्रबंधक की वित्त तक पहुंच, पूंजी उपचार, समुचित सावधानी, ऋण वृद्धि और मूल्यन शामिल हैं। मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण ढांचे के साथ संरचनात्मक रूप से संगति रखते हुए, यह अन्य क्षेत्रों में पेश किए गए समान ढांचे पर आधारित है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के अभिशासन, मापन और प्रबंधन पर परिपत्र

VI.69 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी), ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली, बैंकों की पूंजी और आय के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो बैंकों की बैंकिंग बही स्थितियों को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/ या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकता है। तदनुसार, बीसीबीएस के संशोधित ढांचे के अनुरूप आईआरआरबीबी पर अंतिम दिशानिर्देश 17 फरवरी 2023 को जारी किए गए थे ताकि बैंकों को, अपने एक्सपोजर को मापने, निगरानी करने और आईआरआरबीबी के समक्ष प्रकट

[14] (i) दिनांक 19 नवंबर 2015 को 'निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों का अधिग्रहण या वोटिंग अधिकारों के लिए पूर्व अनुमोदन' पर एमडी; (ii) 21 अप्रैल 2016 को 'निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों का निर्गम और मूल्य निर्धारण' पर एमडी; और (iii) 12 मई 2016 को 'निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व' पर एमडी।

करने में सक्षम बनाया जा सके। कार्यान्वयन की तारीख नियत समय में तय की जाएगी।

बेसल III के तहत बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश

VI.70 बेसल III मानकों के साथ, बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के विनियमों की अभिरूपता हेतु, बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश- बेसल III, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 17 फरवरी 2023 को जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे और 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरणियाँ - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) - राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू

VI.71 मास्टर निदेश (एमडी) पहले सभी वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू था, जिसने, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग क्षेत्र के वार्षिक वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण संबंधी निर्देशों को सुसंगत बनाया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के परामर्श से, एमडी को यथोचित परिवर्तनों सहित राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू करने के लिए अद्यतन किया गया। मास्टर निदेश की कुछ प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, जैसा कि उक्त निदेश के अनुबंध-III ए में कहा गया है, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू होंगी।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का कार्यान्वयन

VI.72 अप्राप्त प्रबंधन शुल्क के निरंतर रिकॉगनीशन से संबंधित विवेकपूर्ण चिंताओं को दूर करने के लिए, भले ही उक्त शुल्क 180 दिनों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं किया गया हो, इंड एएस को लागू करने वाले एआरसी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए निवल स्वामित्व वाली निधियों और लाभांश के लिए उपलब्ध राशि से निम्नलिखित राशि को कम करेगा: (ए) योजना अवधि के दौरान रिकॉग्नाइज्ड प्रबंधन शुल्क जो योजना अवधि की समाप्ति की तारीख से 180 दिनों से अधिक अप्राप्त रहता है, (बी) योजना अवधि की समाप्ति के बाद मान्यता प्राप्त प्रबंधन शुल्क जो इस तरह की रिकॉगनीशन के 180 दिन से अधिक दिन तक अप्राप्त रहता है, और (सी) कोई भी अप्राप्त प्रबंधन शुल्क, उस अवधि के बावजूद जिसके लिए यह अप्राप्त रहा है, जहां, जमानत प्राप्ति का निवल आस्ति मूल्य अंकित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो गया है। एआरसी अपने लेखा टिप्पणी में निर्धारित प्रारूप में अप्राप्त प्रबंधन शुल्क के पुराने होने से संबंधित जानकारी भी प्रकट करेंगे।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.73 वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग निम्नलिखित प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- क्रेडिट प्रबंधन में सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों पर निर्देशों की व्यापक समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0);*
- विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (एमएनबीसी) विनियमों की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0);*
- एनबीएफसी के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की मान्यता;
- यूसीबी के लिए चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0);*
- विनियमित संस्थाओं को 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण' पर सुसंगत विनियम जारी करना *(उत्कर्ष 2.0)*;
- उधारदाता संस्थाओं द्वारा जारी सभी गैर-निधि आधारित आकस्मिक सुविधाओं की व्यापक समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0);*
- बैंकों और एनबीएफसी द्वारा गतिविधियों के संचालन पर नीति की समीक्षा;

- एजेंसी व्यवसाय और रेफरल सेवा पर विनियमन की समीक्षा;
- यूसीबी के परिचालन के क्षेत्र पर दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा;
- यूसीबी के विभिन्न विनियामकीय अनुमोदनों पर निर्देशों की समीक्षा; और
- जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर विनियामकीय पहल।

फिनटेक विभाग

VI.74 दिनांक 4 जनवरी 2022 को स्थापित फिनटेक विभाग को, सचेत रहते हुए नवोन्मेष को बढ़ावा देकर फिनटेक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और समुचित फ्रेमवर्क के तहत फिनटेक परितंत्र से जुड़े जोखिमों को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

VI.75 विभाग ने 2022-23 के लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिदेश के अनुसरण में कई उपाय किए।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.76 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की चरणबद्ध शुरुआत *[उत्कर्ष]* (पैराग्राफ VI.77-VI.80);
- 'फिनटेक पर विज़न और कार्यनीतिक दस्तावेज़ *(उत्कर्ष),* और फिनटेक और बिगटेक के लिए नीतिगत ढांचा' द्वारा निर्धारित योजना का कार्यान्वयन (पैराग्राफ VI.81);
- देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना को सुगम बनाना (पैराग्राफ VI.82); और
- रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र के माध्यम से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना (पैराग्राफ VI.83)।

कार्यान्वयन की स्थिति

सीबीडीसी की चरणबद्ध शुरुआत

VI.77 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने सामान्य रूप से सीबीडीसी के बारे में और विशेष रूप से डिजिटल रुपये (e₹) की योजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सीबीडीसी पर एक 'कॉन्सेप्ट नोट' जारी किया। इसमें भारत में सीबीडीसी जारी करने के उद्देश्यों, विकल्पों और लाभों के बारे में बताया गया। नोट में सीबीडीसी की शुरूआत के प्रति रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण की व्याख्या की गई है। इसके बाद, रिज़र्व बैंक ने विशिष्ट उपयोग के लिए e₹ की प्रायोगिक परियोजना शुरु की।

VI.78 डिजिटल रुपया - थोक क्षेत्र (e₹-डब्ल्यू) में पहली प्रायोगिक परियोजना 1 नवंबर 2022 को शुरू हुई। इस परियोजना के लिए उपयोग की स्थिति सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में द्वितीयक बाजार लेनदेन का निपटान है। e₹-डब्ल्यू के उपयोग से अंतर-बैंक बाजार के और अधिक कुशल होने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक मुद्रा में निपटान, निपटान जोखिम को कम करने के लिए निपटान गारंटी बुनियादी ढांचे या संपार्श्विक की आवश्यकता को पूरा कर, लेनदेन लागत को कम करेगा। प्रायोगिक परियोजना में नौ बैंक (यथा- भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी) भाग ले रहे हैं।

VI.79 खुदरा डिजिटल रुपये (e₹-आर) के लिए पहली प्रायोगिक परियोजना 1 दिसंबर 2022 को घोषित की गई। e₹-आर डिजिटल मोड में विश्वास, सुरक्षा और अंतिम निपटान जैसी भौतिक नकदी की सुविधाएँ प्रदान करता है। इसे लेनदेन करने के लिए रखा या इस्तेमाल किया जा सकता है- जिस तरह से करेंसी नोटों को भौतिक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस परियोजना की शुरुआत मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में की गई, जिसमें क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) में भाग

लेने वाले ग्राहक और व्यापारी शामिल थे। अहमदाबाद, चंडीगढ़, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्ची, लखनऊ, पटना और शिमला सहित अन्य स्थानों को भी चरणों में प्रायोगिक परियोजना में जोड़ा जा रहा है। प्रायोगिक परियोजना, चार बैंकों (यथा- भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक) के साथ शुरू हुआ, जबकि चार अन्य बैंकों (यथा- बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक) बाद में शामिल हो गए। पांच और बैंक (यथा- पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक) इस परियोजना में शामिल होने की प्रक्रिया में हैं। आवश्यकतानुसार अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओं और स्थानों को शामिल करने के लिए परियोजना का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है।

VI.80 अब तक दोनों प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणाम संतोषजनक और अपेक्षा के अनुरूप रहे हैं।

फिनटेक पर विजन और कार्यनीतिक दस्तावेज और फिनटेक और बिगटेक के लिए नीतिगत ढाँचा में निर्धारित योजना का कार्यान्वयन

VI.81 फिनटेक विजन दस्तावेज, जो इस विजन को प्राप्त करने हेतु रेखांकित ब्लूप्रिंट वाले कार्यनीति दस्तावेज द्वारा अनुपूरित हो, को तैयार करने के लिए फिनटेक विभाग के कार्यपालक निदेशक-प्रभारी की अध्यक्षता में एक कार्य-दल (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। कार्य-दल में विभिन्न आंतरिक विभागों के प्रतिनिधि, जैसे- आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), फिनटेक विभाग, विनियमन विभाग (डीओआर), पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) और भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), के साथ-साथ फिनटेक उद्योग, एक कानूनी फर्म और रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) शामिल हैं। डब्ल्यूजी फिनटेक परितंत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ काम कर रहा है जिसमें बैंक और फिनटेक/ बिगटेक शामिल हैं। यह कार्य-दल फिनटेक के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और यह भारत में फिनटेक परितंत्र के भविष्य के विकास के लिए एक दृष्टि और कार्यनीति की तैयारी कर रहा है।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना

VI.82 माननीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने (*आज़ादी का अमृत महोत्सव*) के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना की घोषणा की थी। इन 75 डीबीयू को 16 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया गया है। वर्तमान में, देश के विभिन्न हिस्सों में 84 डीबीयू काम कर रहे हैं। हालांकि, बैंक विनियामकीय मार्गदर्शन और नीति के अनुसार डीबीयू स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। डीबीयू, ग्राहकों को कुशल, कागज रहित, सुरक्षित और संपर्कित वातावरण में, स्व-सेवा के साथ-साथ सहायता मोड में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की सस्ती/सुविधाजनक पहुंच और उन्नत डिजिटल अनुभव प्रदान करता है। हालांकि, रिज़र्व बैंक ने 'डीबीयू की स्थापना' से संबंधित अपने परिपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2022 के माध्यम से सभी डीबीयू में पेश किए जा सकने वाले उत्पादों और सेवाओं की न्यूनतम संख्या के संदर्भ में एक मानकीकरण निर्धारित किया है, फिर भी बैंकों को, निर्धारित न्यूनतम के अलावा, किसी भी डिजिटल उत्पाद और सेवा की पेशकश की स्वतंत्रता है। डीबीयू, प्रत्येक जिले में, साइबर सुरक्षा और डिजिटल वित्तीय सेवाओं से संबंधित अन्य प्रासंगिक आईटी क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। डीबीयू, जनता को सहज और कुशल तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध करा कर डिजिटल बैंकिंग को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाएँ

VI.83 वर्ष 2022-23 के दौरान, आरबीआईएच ने वित्तीय क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण नवीन परियोजनाएं शुरू की हैं। *किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण के लिए रिज़र्व बैंक के परामर्श से आरबीआईएच द्वारा परिकल्पित और विकसित एक प्रायोगिक (पायलट) परियोजना को मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के चुनिंदा जिलों में संचालित किया गया था (बॉक्स VI.2)। इसके अलावा, आरबीआईएच ने एक '*स्वनारी* टेकस्प्रिंट' का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवा परितंत्र भागीदारों को, अल्पसेवित, निम्न-और मध्यम-आय (एलएमआई) महिलाओं और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए स्मार्ट, रचनात्मक और टिकाऊ समाधान बनाने और उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप्स को अनुकूल वातावरण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, इसने आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क; सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एसआईएनई), आईआईटी बॉम्बे और सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई), आईआईएम अहमदाबाद, के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

प्रमुख पहल

खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क

VI.84 खाता एग्रीगेटर (एए) परितंत्र में वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस फ्रेमवर्क में शामिल हो गए हैं और अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (एफएसआर), जैसे- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने अपने संबंधित विनियमित संस्थाओं को वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में ढांचे में शामिल होने को कहा है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नकदी प्रवाह-आधारित ऋण देने की सुविधा के लिए, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को 'एए' ढांचे के तहत एफआईपी के रूप में शामिल किया गया है। राजस्व

बॉक्स VI.2
***किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के डिजिटलीकरण पर प्रायोगिक परियोजना**

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भारत में किसानों के वित्तपोषण के प्रमुख तरीकों में से एक रही है। इस योजना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ – लंबी कार्य-पूर्णता अवधि (टर्न-अराउंड टाइम), कई शाखाओं में जाना, कागज-आधारित ऋण वितरण और अधिक लेनदेन लागत - हैं। ग्रामीण वित्त से जुड़ी इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भारत में कृषि वित्त के डिजिटलीकरण की परिकल्पना रिज़र्व बैंक और रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) द्वारा मिलकर की गई। इसका सोच, *किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों का कागज मुक्त और कठिनाई रहित वितरण, निपटान समय (टर्न-अराउंड टाइम) को कम करना और बैंक शाखाओं में बार-बार जाने से बचाना है। यह परियोजना तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, कर्नाटक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ) और तमिलनाडु (फेडरल बैंक और इंडियन बैंक के साथ) में किया जा रहा है। इस परियोजना ने किसानों को बिना किसी संपार्श्विक के ₹1.6 लाख तक के ऋणों के सफल वितरण को कुछ ही मिनटों में संभव किया। इन दोनों राज्यों के अन्य जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी प्रायोगिक परियोजना को बढ़ाया जा रहा है।

इस प्रायोगिक परियोजना के लिए विभिन्न राज्यों के डिजिटल भूमि अभिलेखों के साथ बैंकों की प्रणाली के तकनीकी एकीकरण की आवश्यकता है। डिजिटल केसीसी में इन समस्याओं को हल करने से बैंकों को भूमि दस्तावेजों के सत्यापन, बैंकों के बिजनेस रूल इंजन (बीआरई) के साथ एकीकरण, वित्तीय पैमाने का आकलन, अनुमोदन, पेपर-आधारित केवाईसी, और ऋण आवेदकों के भौतिक हस्ताक्षरों को संसाधित करना, जैसी प्रक्रियाओं में शामिल मानवी हस्तक्षेप को समाप्त कर जरूरी दक्षता लाने में मदद मिल सकती है।

एचडीएफसी बैंक के सहयोग से गुजरात में डेयरी किसानों को दुग्ध-उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर ऋण देने की प्रायोगिक (पायलट) परियोजना भी शुरू की गई है।

प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत विभिन्न परीक्षण सफल पाए गए हैं और इन परियोजनाओं के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। प्रायोगिक परियोजनाओं से प्राप्त सबक का उपयोग, वित्त के लिए एक एकीकृत सार्वजनिक टेक प्लेटफॉर्म (आईपीटीपीएफ) के विकास के लिए किया जा रहा है, जो उधारदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान कर, निर्बाध ऋण प्रदान करने में सक्षम होगा।

स्रोत: आरबीआई।

विभाग, भारत सरकार, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीएसटीएन का विनियामक होगा। नतीजतन, पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) एए, एफआईपी और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) की संख्या में उच्छी वृद्धि होने की उम्मीद है। परितंत्र में सहभागियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, रिज़र्व बैंक, रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) और अन्य हितधारकों के परामर्श से, परितंत्र को और अधिक मजबूत बनाने, बढ़ते परितंत्र की तकनीकी समस्याओं को हल करने और उसके संवर्धन हेतु सुविचारित सूक्ष्म दृष्टिकोण अपना रहा है।

विनियामकीय सैंडबॉक्स (आरएस) - कॉहोर्ट और अंतर-परिचालनीय विनियामकीय सैंडबॉक्स (आईओआरएस)

VI.85 'सीमा-पार भुगतान' विषय पर आरएस के दूसरे समूह के तहत, आठ संस्थाओं ने उत्पादों की एक शृंखला का परीक्षण किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ब्लॉकचेन-आधारित सीमा-पार भुगतान प्रणाली, सीमा-पार भुगतान प्रक्रिया का डिजिटलीकरण शामिल है। आठ उत्पादों में से चार परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर स्वीकार्य पाए गए। 'एमएसएमई लेंडिंग' थीम के साथ तीसरे कॉहोर्ट के तहत, शॉर्टलिस्ट की गई आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों का परीक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, एमएसएमई को डिजिटल ऋण देने के लिए सीधा प्रोसेसिंग, एमएसएमई के लिए तत्काल नकद-प्रवाह आधारित ऋण की हामीदारी हेतु मालिकाना व्यवसाय वित्त चर का उपयोग, एमएसएमई उधार में ब्लॉकचेन तकनीक का अभिनव उपयोग और एमएसएमई मुद्रा ऋण के लिए आरंभ से अंत (ऋण-वितरण) तक सीधी प्रक्रिया शामिल है। परीक्षण के परिणाम वर्तमान में मूल्यांकन के अधीन हैं। एमएसएमई उधार पर इस कोहर्ट से नवोन्मेषों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जो प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के माध्यम से एमएसएमई के लिए ऋण अभाव दूर करने में मदद कर सकता है। 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' विषय के साथ चौथे कॉहोर्ट के तहत, छह संस्थाओं को परीक्षण के लिए चुना गया है और संस्थाओं ने फरवरी 2023 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू किया है। संस्थाएं विभिन्न उत्पादों का परीक्षण कर रही हैं जिनमें जोखिम-आधारित प्रमाणीकरण समाधान, आंतरिक और बाह्य दोनों डेटा का उपयोग कर क्रेडिट निगरानी और के धोखाधड़ी की पहचान के लिए आरंभिक चेतावनी प्रणाली, कार्ड धोखाधड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) / मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित सीमित उपयोगकर्ता समूह मॉडल और स्लीप मोड में लॉगिन को लॉक करने के लिए फ्रॉड फिल्टर सिस्टम, शामिल हैं। इस कॉहोर्ट की परिकल्पना धोखाधड़ी की घटना को रोकने, धोखाधड़ी अभिशासन को मजबूत करने, धोखाधड़ी के प्रति प्रतिक्रिया समय को कम करने और वित्तीय धोखाधड़ी की घटना और उसकी पहचान के बीच के समय-अंतराल को कम करने के लिए की गई है। आरएस के तहत पांचवें कोहोर्ट को 'थीम न्यूट्रल' घोषित किया गया है, जिसमें रिज़र्व बैंक के विनियामक डोमेन में विभिन्न प्रकार्यों वाले नवीन उत्पाद/ सेवाएं/ प्रौद्योगिकियां आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। आरएस के तहत 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा वर्तमान में 'खुदरा भुगतान' और 'सीमापार भुगतान' थीम के लिए खुली है। 'खुदरा भुगतान' के लिए ऑन-टैप एप्लिकेशन सुविधा के तहत परीक्षण चरण के लिए दो संस्थाओं का चयन किया गया है और उत्पादों का परीक्षण एक इकाई द्वारा शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरा, परीक्षण शुरू करने हेतु वाणिज्यिक बैंक/ बैंकों के साथ साझेदारी की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, एक से अधिक वित्तीय विनियामकों, जैसे रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और पीएफआरडीए, के विनियामकीय दायरे में आने वाले हाइब्रिड उत्पादों/ सेवाओं के परीक्षण की सुविधा के लिए, अंतर-परिचालनीय विनियामकीय सैंडबॉक्स (आईओआरएस) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), वित्तीय स्थिरता विकास परिषद-स्थायी समिति (एफएसडीसी-एससी) के तहत गठित फिनटेक पर अंतर-विनियामकीय तकनीकी समूह (फिनटेक पर आईआरटीजी) द्वारा तैयार और संचालित किया गया है। आईओआरएस ढांचे के तहत आवेदन प्राप्त होना शुरू हो गए हैं, जिन पर एसओपी के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

हारबिंजर 2021

VI.86 रिज़र्व बैंक ने 9 नवंबर, 2021 को अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हारबिंजर 2021 शुरु किया, जिसमें 'स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स' की व्यापक थीम के तहत चार समस्याएँ थीं। हैकथॉन में भारत के भीतर और यूएस, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के साथ 363 टीमों की बहुत अच्छी भागीदारी देखी गई। समस्या विवरणियों के समाधान का अंतिम मूल्यांकन मई 2022 में आयोजित किया गया था जिसमें बाहरी विशेषज्ञों की एक निर्णायक-समिति ने नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, उपयोगकर्ता अनुभव, सुरक्षा और कार्यान्वयन में आसानी जैसे मापदंडों के आधार पर विजेताओं और उपविजेताओं का मूल्यांकन किया और उनका चयन किया। इन अभिनव उत्पादों से भुगतान परितंत्र को अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है, जैसे- वंचितों को शामिल करना और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी को रोकना। जहाँ, विनियामकीय सैंडबॉक्स की पहल रिज़र्व बैंक के विनियामकीय परिवेश के भीतर भारतीय संस्थाओं द्वारा नवोन्मेष को बढ़ावा देने पर केंद्रित है वहीं, आईओआरएस अपने दृष्टिकोण में अंतर-विनियामक है और वैश्विक हैकाथॉन ' हारबिंजर' विशिष्ट प्रकार की समस्या के समाधान हेतु वैश्विक नवोन्मेषक समुदाय की ओर अभिमुख है। रिज़र्व बैंक के वैश्विक हैकाथॉन - 'हारबिंजर 2023' का दूसरा संस्करण भी 'समावेशी डिजिटल सेवा' विषय के साथ आरंभ किया गया है, जिसमें निम्नलिखित चार प्रकार की समस्याओं के लिए नवीन विचारों को आमंत्रित किया गया है: दिव्यांग के लिए नवोन्मेषी, उपयोग में आसान, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं; विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए अधिक कुशल अनुपालन की सुविधा के लिए रेगटेक समाधान; ऑफ़लाइन मोड में लेनदेन और प्रति सेकंड लेन-देन बढ़ाने (टीपीएस) / थ्रूपुट सहित सीबीडीसी-खुदरा लेनदेन के लिए उपयोग के मामलों / समाधानों की खोज और ब्लॉकचेन की मापनीयता।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.87 2023-24 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- सीबीडीसी-खुदरा और सीबीडीसी-थोक दोनों में विभिन्न उपयोग के मामलों के साथ आगे के प्रायोगिक परियोजनाओं का संचालन करना *(उत्कर्ष 2.0)*;
- देश में फिनटेक परितंत्र के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त ढांचा विकसित करना *(उत्कर्ष 2.0)*;
- वित्त के लिए एक खुला, अंतर-परिचालनीय एकीकृत सार्वजनिक तकनीकी मंच तैयार करना जो एकल एकीकृत सार्वजनिक मंच के रूप में कार्य कर सके, जो सभी उधारदाताओं के लिए एक सहज तरीके से डेटा के एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा और बाधारहित ऋण वितरण को संभव बनाएगा;
- वैश्विक हैकाथॉन 'हारबिंजर' शृंखला का आयोजन;
- दक्षता लाने और उसके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए खाता एग्रीगेटर परितंत्र में सुधार लाना; और
- विनियमित संस्थाओं के लिए रेगटेक उपकरणों के विकास में सुविधा और उभरते हुए सुपटेक उपकरणों की पहचान और विचारों को मूर्त रूप देना। आरएस/ हैकाथॉन के तहत एक समूह में रेगटेक से संबंधित विषय शामिल होंगे *(उत्कर्ष 2.0)*।

4. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)

VI.88 पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर], स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों (पीबी), लघु वित्त बैंकों, (एसएफबी), ऋण सूचना कंपनियां (सीआईसी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) [आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को छोड़कर]

और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वाणिज्यिक बैंक

VI.89 विभाग ने वर्ष के दौरान एससीबी, एलएबी, पीबी, एसएफबी, सीआईसी और एआईएफआई के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण दोनों को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.90 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी डैशबोर्ड तैयार करना *(उत्कर्ष)* [अनुच्छेद VI.91];
- पूर्व चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूआई) मॉडल की पूर्व-संकेतन शक्ति का आकलन करने हेतु बैक-टेस्टिंग / एससीबी के लिए एक नया ईडब्ल्यूआई ढांचा तैयार करना (पैराग्राफ VI.92); और
- कमियों की पहचान करने और उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रक्रिया लेखापरीक्षा आयोजित करना (पैराग्राफ VI.93)।

कार्यान्वयन की स्थिति

पर्यवेक्षी डैशबोर्ड

VI.91 रिज़र्व बैंक ने एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी सहित सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए बहुआयामी निगरानी डैशबोर्ड विकसित किया है। वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बने डैशबोर्ड को तिमाही आधार पर अपडेट किया जा रहा है।

पूर्व चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूआई) मॉडल

VI.92 एक नया ईडब्ल्यूआई ढांचा विकसित किया गया है और इसका बैक-टेस्ट किया गया है जो एससीबी के वित्तीय प्रदर्शन पर व्यापक परिदृष्य उपलब्ध कराता है। यह ईडब्ल्यूआई ढांचा 18 महत्वपूर्ण अनुपातों के एक सेट में महत्वपूर्ण सीमाओं के उल्लंघन की स्थिति में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है।

प्रक्रिया लेखापरीक्षा

VI.93 एससीबी में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की प्रक्रिया लेखापरीक्षा करना एससीबी में आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियों में देखी गई कमजोरियों के निवारण के लिए पर्यवेक्षण में अपनाए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है।

अन्य पहल

अभिशासन और संचालन क्षेत्र को मजबूत करना

VI.94 पर्यवेक्षी चक्र 2022-23 के लिए, अभिशासन और संचालन के क्षेत्रों में प्रमुख पर्यवेक्षी चिंताओं की पहचान की गई। इसके अलावा, जोखिम मूल्यांकन टेम्पलेट में अनुपालन संस्कृति और जोखिम संस्कृति को शामिल करते हुए संगठन में मानदंडों के आकलन में अधिक वस्तुनिष्ठता लाने के लिए मैट्रिक्स/ सब-मैट्रिक्स के साथ नए मानदंड पेश किए गए।

सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग

VI.95 सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग *पर* बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति (बीसीबीएस) के सिद्धांतों के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय छह भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज बनाए रखे। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज की बैठकें आयोजित कीं। रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए। इसके साथ, रिज़र्व बैंक ने अब तक विदेशी पर्यवेक्षकों/ विनियामकों के साथ 44 एमओयू, पर्यवेक्षी सहयोग के दो विनिमय पत्र (ईओएल) और एक सहयोग वक्तव्य [स्टेटमेंट ऑफ़ कोऑपरेशन (एसओसी)] निष्पादित किए हैं। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी चिंताओं, और पर्यवेक्षण में कार्य-पद्धति और सर्वोत्तम प्रथाओं पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ 17 बैठकें सम्पन्न कीं।

अप्रत्यक्ष (ऑफ-साइट) विवरणियों की समीक्षा और युक्तिकरण

VI.96 अद्यतन पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के आधार पर समय-समय पर डेटा अपेक्षाओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, अप्रत्यक्ष विवरणियों की समीक्षा और युक्तिकरण और ऐसी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने जो समकालीन पर्यवेक्षी वातावरण में प्रणाली की प्रासंगिकता को बनाए रखे, के लिए एक आंतरिक समूह का गठन किया गया था। समूह ने, सभी विवरणियों में डेटा मद के दोहराव, अनावश्यक विवरण और नए डेटा मद की आवश्यकता के संदर्भ में, एससीबी से संबंधित सभी विवरणियों की समीक्षा पूरी कर ली है, और विवरणियों में संशोधन की सलाह दी है। यह कार्य अभी प्रक्रियाधीन है।

क्षत आस्तियों की शीघ्र पहचान

VI.97 आस्ति क्षति की शीघ्र और त्रुटि-मुक्त पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक एससीबी के साथ एनपीए की सिस्टम चालित पहचान को कार्यान्वित करने में लगा हुआ है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक, कोविड-19 सहायता और राहत उपायों के हिस्से के रूप में शुरू किए गए पुनर्गठन ढांचे (आरएफ) के मद्देनजर प्रमुख आस्ति गुणवत्ता मानदंडों में परिवर्तन की भी निगरानी कर रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया एक अध्ययन सभी बैंक समूहों की बैंकिंग प्रणाली में बेहतर सुदृढ़ता की ओर इशारा करता है (बॉक्स VI.3)।

धोखाधड़ी विश्लेषण

VI.98 पिछले तीन वर्षों में बैंक समूह-वार धोखाधड़ी के मामलों के आकलन से संकेत मिलता है कि जहां निजी क्षेत्र के बैंकों से सर्वाधिक धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त हुई, वहीं 2022-23 के दौरान धोखाधड़ी राशि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा अधिकतम था (सारणी VI.2)। संख्या के लिहाज से धोखाधड़ी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान (कार्ड/ इंटरनेट) की श्रेणी में हुई

बॉक्स VI.3
बैंकों द्वारा पुनर्गठन के बाद आस्ति गुणवत्ता

कोविड-19 महामारी से उत्पादन गतिविधि बुरी तरह बाधित हुई, जिससे बैंक उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इसकी प्रतिक्रिया में, विश्व स्तर पर केंद्रीय बैंक, ऐसे उधारकर्ताओं के बचाव में आए - और कई सहयोगी उपायों/नीतियों की शुरुआत कर वित्तीय प्रणाली की रक्षा की, जैसे, ऋण अधिस्थगन की अनुमति, आस्ति गुणवत्ता शिथिलता, पुनर्गठन, अतिरिक्त वित्तपोषण और चलनिधि सहायता देना। भारत में, महामारी के कारण, रिज़र्व बैंक ने ऋण अदायगी आस्थगन, ऋण अधिस्थगन की घोषणा की और व्यक्तियों एवं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के ऋण खातों के पुनर्गठन की अनुमति दी। साथ ही, बड़े कॉर्पोरेट खातों के लिए क्षेत्र विशेष की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष पुनर्गठन योजना लागू की गई थी। महामारी के पुनर्संक्रमण से उत्पन्न व्यवधानों को समायोजित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा कोविड-19 विनियामक पैकेज को कई चरणों में लागू किया गया था। कोविड-19 विनियामक पैकेज में योजनाओं की परिकल्पना स्पष्ट सावधि विधि-खंड (आरबीआई, 2022) के साथ आवश्यक सहयोग देने के लिए की गई थी। इसके अलावा, उनके पास कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड और सख्त रिपोर्टिंग ढांचा था। जहाँ, ऋण अधिस्थगन लॉकडाउन के संदर्भ में एक अस्थायी समाधान था, वहीं समाधान ढांचे से, कोविड संबंधी दबाव का सामना कर रहे उधारकर्ताओं को टिकाऊ राहत मिलने की उम्मीद थी (दास, 2020)।

उपर्युक्त उपायों में यह सुनिश्चित किया गया कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों द्वारा उठाया जाए और इसके परिणामस्वरूप जोखिम नहीं बढ़े। फलस्वरूप, विनियामक पैकेज ने महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने के लिए व्यक्तियों और उद्यमों को सशक्त बनाया (पात्र, 2022)। इसके अलावा, महामारी के प्रभाव कम होने के कारण आर्थिक गतिविधि पूर्व-महामारी स्तर पर वापस आ गई। हालाँकि, चिंताएँ बनी हुई हैं कि सहयोगी नीतियों की वापसी के परिणामस्वरूप, पुनर्गठित आस्तियों या अधिस्थगन से बाहर आने वाली आस्तियों में चूक के रूप में समय के साथ अप्रत्यक्ष (छिपी हुई) दुर्बलताएँ सामने आ सकती हैं। इस पृष्ठभूमि में, महामारी के बाद की अवधि के लिए भारतीय बैंकों की आस्ति की गुणवत्ता की जांच की गई।

प्रमुख आस्ति गुणवत्ता मानकों में उतार-चढ़ाव, सभी बैंक समूहों की बैंकिंग प्रणाली में बेहतर सुदृढ़ता की ओर इशारा करता है (सारणी 1)। जहाँ, पुनर्गठित आस्तियों का हिस्सा दिसंबर 2019 और मार्च 2022 के बीच बढ़ा है, वहीं दिसंबर 2022 में कम हो गया है। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान गिरावट अनुपात 4.4 प्रतिशत से गिरकर 2.0 प्रतिशत हो गया है। यह इंगित करता है कि कोविड-19 से संबद्ध विशिष्ट सहायता योजनाओं की समाप्ति के बावजूद आस्ति गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है।

मार्च 2015 से दिसंबर 2022 तक की अवधि को शामिल करते हुए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के 43 बैंकों के डेटा के साथ एक मार्च

(ज़ारी)

सारणी 1 : प्रमुख आस्ति गुणवत्ता मानकों में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च 2018	मार्च 2019	दिसंबर 2019	मार्च 2022	दिसंबर 2022
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक					
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	15.52	12.25	11.87	7.57	5.82
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	8.58	5.12	4.89	2.33	1.65
एसएमए-2 अनुपात (₹5 करोड़ और उससे अधिक)	2.17	1.25	2.04	0.23	0.44
मानक अग्रिमों के रूप में पुनर्गठित	0.96	0.56	0.63	2.25	1.74
गिरावट अनुपात	9.57	4.5	4.67	2.54	1.56
सकल अग्रिम की तुलना में दबावग्रस्त अग्रिम	16.33	12.74	12.42	9.65	7.46
निजी क्षेत्र के बैंक					
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	4.01	4.81	5.5	3.73	2.67
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	1.97	1.89	1.75	0.96	0.66
एसएमए-2 अनुपात (₹5 करोड़ और उससे अधिक)	1.02	0.67	1.14	0.19	0.31
मानक अग्रिमों के रूप में पुनर्गठित	0.44	0.33	0.18	1.78	1.02
गिरावट अनुपात	4.29	3.36	4.27	3.29	2.64
सकल अग्रिम की तुलना में दबावग्रस्त अग्रिम	4.43	5.12	5.68	5.45	3.67
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	11.46	9.24	9.1	5.89	4.47
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	6.1	3.75	3.5	1.72	1.21
एसएमए-2 अनुपात (₹5 करोड़ और उससे अधिक)	1.69	0.99	1.63	0.2	0.38
मानक अग्रिमों के रूप में पुनर्गठित	0.74	0.45	0.43	2.0	1.40
गिरावट अनुपात	7.58	3.96	4.36	2.86	2.01
सकल अग्रिम की तुलना में दबावग्रस्त अग्रिम	12.12	9.65	9.49	7.77	5.81

स्रोत: डीबीआईई और पर्यवेक्षी विवरणियाँ, आरबीआई।

2015 से दिसंबर 2022 तक की अवधि को शामिल करते हुए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के 43 बैंक बैंकिंग क्षेत्र पर कोविड-19 से संबंधित नीतिगत उपायों के लाभकारी प्रभाव की पुष्टि करते हैं (सारणी 2)। मॉडल में उपयोग किए गए अर्थमितीय विनिर्देश में एक प्रतिगामी के रूप में जीएनपीए अनुपात शामिल है, क्योंकि जीएनपीए अनुपात दृढ़ता प्रदर्शित करता है, और मजबूत अनुमान प्राप्त करने के लिए एंडोजेनिटी मुद्दों के लिए जीएमएम का उपयोग करके बेहतर अनुमान प्रदान करता है।

सारणी 2: जीएमएम रिग्रेसन के परिणाम - आस्ति की गुणवत्ता महामारी से पहले और बाद में

(आश्रित चर: बैंक-स्तर जीएनपीए अनुपात)

व्यक्त चर	गुणक		
	मॉडल I	मॉडल II	मॉडल III
1	2	3	4
जीएनपीए अनुपात (एल 1)	0.908***	0.908***	0.854***
	(0.009)	(0.009)	(0.006)
सीआरएआर (एल 2)			-0.151***
			(0.010)
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (एल 3)	-0.048***	-0.048***	-0.041***
	(0.001)	(0.001)	(0.001)
आईएनआर-यूएसडी विनिमय दर (डी 1)	0.056***	0.056***	0.089***
	(0.004)	(0.004)	(0.003)
नए ऋणों पर वास्तविक डब्ल्यूएएलआर (एल 1)	0.014***	0.014***	
	(0.003)	(0.003)	
शहरी पुरुष बेरोजगारी दर (डी 1)	0.041***	0.041***	0.035***
	(0.002)	(0.002)	(0.001)
आवास मूल्य सूचकांक में वृद्धि (एल 1)	-0.083***	-0.083***	-0.091***
	(0.011)	(0.011)	(0.008)
मार्च 2020 के बाद के लिए डमी	-0.759***	-0.759***	-0.578***
	(0.086)	(0.086)	(0.063)
स्थिरांक	1.747***	1.747***	4.580***
	(0.093)	(0.093)	(0.207)
टिप्पणियाँ	612	612	612
बैंकों की संख्या	43	43	43
एआर (1), पी-वैल्यू	0.00863	0.00863	0.00737
एआर (1), पी-वैल्यू	0.403	0.403	0.921
हैनसेन टेस्ट, पी-वैल्यू	1	1	1
सरगन टेस्ट, पी-वैल्यू	कम 0.01	कम 0.01	कम 0.01

***, **, और * क्रमशः *1* प्रतिशत, *5* प्रतिशत और *10* प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण स्तर दर्शाते हैं।

नोट: *1.* एल और डी निर्दिष्ट क्षितिज में पैरामीटर के पिछड़े और अलग-अलग मूल्यों को दर्शाते हैं।

2. मार्च 2016 से दिसंबर *2022* की अवधि के लिए किया गया रिग्रेसन।

3. कोष्ठकों में मानक त्रुटियाँ दी गई हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ की गणना।

बैंकिंग क्षेत्र के दबाव में गिरावट, इंगित करती है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों को कम करने के लिए लागू की गई नीतियां दीर्घ आर्थिक दुष्प्रभाव (हिस्टैरिसीस) पैदा किए बिना वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने में सफल रही हैं।

संदर्भ *:*

1. शक्तिकान्त दास (2020), 'इट्स टाइम फॉर बैंक्स टु लुक डीपली विदिन: रीओरिएंटिंग बैंकिंग पोस्ट-कोविड', सिंगापुर, अनलॉक बीएफएसआई 2.0, बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ, 27 अगस्त।
2. एमडी पात्र (2022), 'आरबीआई की महामारी प्रतिक्रिया: गुमनामी से बाहर निकलना', सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद, 28 जनवरी।
3. रिज़र्व बैंक (2022), 'अर्थव्यवस्था की स्थिति', मासिक बुलेटिन जनवरी, LXXVI(12), 13-41।

सारणी VI.2 : धोखाधड़ी के मामले – बैंक समूह-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह / संस्था	2020-21		2021-22		2022-23	
	धोखाधड़ियों की संख्या	धोखाधड़ी की राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	धोखाधड़ी की राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	धोखाधड़ी की राशि
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2,888	77,879	3,075	40,015	3,405	21,125
	(39.4)	(58.8)	(33.8)	(66.9)	(25.2)	(69.8)
निजी क्षेत्र के बैंक	3,705	45,515	5,332	17,387	8,932	8,727
	(50.5)	(34.4)	(58.6)	(29.1)	(66.0)	(28.9)
विदेशी बैंक	519	3110	494	1,206	804	292
	(7.1)	(2.4)	(5.5)	(2.0)	(5.9)	(1.0)
वित्तीय संस्थान	22	5853	9	1,178	9	70
	(0.3)	(4.4)	(0.1)	(2.0)	(0.1)	(0.2)
लघु वित्त बैंक	114	30	155	30	312	31
	(1.5)	-	(1.7)	-	(2.3)	(0.1)
भुगतान बैंक	88	2	30	1	68	7
	(1.2)	-	(0.3)	-	(0.5)	-
स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	-	2	2	-	-
	-	-	-	-	-	-
कुल	**7,338**	**1,32,389**	**9,097**	**59,819**	**13,530**	**30,252**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

- : शून्य/नगण्य।

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

2. डेटा इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में हैं।

3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

4. किसी वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले की हो सकती है।

5. रिपोर्ट की गई राशि, हानि की राशि को व्यक्त नहीं करती है। वसूलियों के आधार पर, हानि कम हो जाती है। इसके अलावा, धोखाधड़ी की पूरी राशि अनिवार्य रूप से पथांतरित नहीं की जाती है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

है। हालांकि, मूल्य के संदर्भ में, मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो (अग्रिम कोटि) [सारणी VI.3] में धोखाधड़ी की सूचना दी गई है। 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी राशि में 55 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा, आनुपातिक रूप से, 2022-23 के दौरान कुल धोखाधड़ी राशि में गिरावट जारी रही, जिसमें 2021-22 की तुलना में 49 प्रतिशत की कमी आई। जहाँ, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या में छोटे मूल्य के कार्ड/ इंटरनेट धोखाधड़ी का हिस्सा सबसे अधिक था, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई।

VI.99 वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों के विश्लेषण से पता चलता है कि धोखाधड़ी होने की तारीख और उसका पता लगाने के बीच काफी समय लगता है (सारणी VI.4)। पिछले वित्तीय वर्षों में हुई धोखाधड़ी की राशि, मूल्य के संदर्भ में, 2021-22 में दर्ज धोखाधड़ी का 93.7 प्रतिशत थी। इसी तरह, मूल्य के हिसाब से 2022-23 में दर्ज धोखाधड़ी का 94.5 प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्षों में घटित हुए।

VI.100 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत धोखाधड़ी निगरानी विवरणियों (एफएमआर) में डेटा विश्वसनीयता में सुधार करने हेतु, उन्हें सूचित किया गया कि वे, धोखाधड़ी/ असहयोगी उधारकर्ता के संबंध में रिपोर्ट करते समय, एफएमआर/ सीआरआईएलसी में गैर-पूर्णकालिक निदेशक/ निदेशकों का नाम/ के नाम शामिल करने/ जोड़ने से पहले समुचित सावधानी बरतें और इसमें भागीदारी (विश्वसनीय प्रमाण/ साक्ष्य के साथ) की पुष्टि कर लें।

सारणी VI.3 : धोखाधड़ी के मामले – परिचालन के क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23	
	धोखाधड़ी की संख्या	धोखाधड़ी की राशि	धोखाधड़ी की संख्या	धोखाधड़ी की राशि	धोखाधड़ी की संख्या	धोखाधड़ी की राशि
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम	3,476	1,30,990	3,833	57,733	4,109	28,792
	(47.4)	(99.0)	(42.2)	(96.5)	(30.4)	(95.2)
तुलन पत्र से इतर	23	535	21	1077	14	296
	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(1.7)	(0.1)	(1.0)
विदेशी मुद्रा लेनदेन	4	129	7	7	13	12
	-	(0.1)	(0.1)	-	(0.1)	-
कार्ड/इंटरनेट	2,545	119	3,596	155	6,659	276
	(34.7)	(0.1)	(39.5)	(0.3)	(49.2)	(0.9)
जमाराशियाँ	504	434	471	493	652	258
	(6.9)	(0.3)	(5.2)	(0.8)	(4.8)	(0.9)
अंतर-शाखा खाते	2	-	3	2	3	-
	-	-	-	-	-	-
नकद	329	39	649	93	1470	158
	(4.5)	-	(7.1)	(0.2)	(10.9)	(0.5)
चेक/डीडी, *आदि*	163	85	201	158	118	25
	(2.2)	(0.1)	(2.2)	(0.3)	(0.9)	(0.1)
समाशोधन खाते	14	4	16	1	18	3
	(0.2)	-	(0.2)	-	(0.1)	-
अन्य	278	54	300	100	474	432
	(3.8)	-	(3.3)	(0.2)	(3.5)	(1.4)
कुल	**7,338**	**1,32,389**	**9,097**	**59,819**	**13,530**	**30,252**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

- : शून्य/नगण्य।

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

2. सारणी VI.2 के फुटनोट 2-5 का संदर्भ लें।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

सारणी VI.4 : 2021-22 और 2022-23 रिपोर्ट की गई पुरानी धोखाधड़ियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

2021-22		2022-23	
1	2	3	4
धोखाधड़ी की घटना	धोखाधड़ी की राशि	धोखाधड़ी की घटना	धोखाधड़ी की राशि
2012-13 से पहले	10,803	2012-13 से पहले	1,547
2012-13	3,272	2012-13	739
2013-14	7,270	2013-14	1,734
2014-15	3,155	2014-15	954
2015-16	4,661	2015-16	479
2016-17	5,620	2016-17	8,349
2017-18	7,346	2017-18	4,232
2018-19	5,448	2018-19	4,623
2019-20	4,740	2019-20	1,399
2020-21	3,719	2020-21	1,325
2021-22	3,785	2021-22	3,196
		2022-23	1,675
कुल	**59,819**	**कुल**	**30,252**

टिप्पणियां: 1. डेटा, इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में हैं।

2. सारणी VI.2 के फुटनोट 3 और 5 का संदर्भ लें।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.101 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- बाजार जोखिम - परिदृश्य विश्लेषण करना और प्रणाली दबाव परीक्षण के लिए इनपुट प्रदान करना *(उत्कर्ष 2.0)*;
- एससीबी के लिए धोखाधड़ी भेद्यता मैट्रिक्स का कार्यान्वयन *(उत्कर्ष 2.0)*; और
- पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस) को मजबूत करना और बढ़ाना।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.102 विभाग ने वर्ष के दौरान यूसीबी के कार्य-प्रदर्शन की लगातार निगरानी की और एक सुरक्षित और अच्छी तरह से

प्रबंधित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.103 विभाग ने 2022-23 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- साइबर सुरक्षा जोखिम प्रोफ़ाइल का आकलन करने के लिए चुनिंदा यूसीबी के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) की शुरुआत (पैराग्राफ VI.104);
- ₹5,000 करोड़ से कम आस्ति आकार वाले यूसीबी के लिए आईटी जाँच का उत्तरोत्तर विस्तार करना (पैराग्राफ VI.105); और
- निदेशकीय दृष्टिकोण से कंपनियों के साथ यूसीबी की अंतर-संबद्धता का विश्लेषण करना (पैराग्राफ VI.106)।

कार्यान्वयन की स्थिति

यूसीबी की साइबर सुरक्षा और आईटी जाँच

VI.104 अंतर्निहित जोखिमों का आकलन और प्रभावी अप्रत्यक्ष निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए, प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), वर्ष के दौरान ₹5,000 करोड़ से अधिक आस्ति आकार वाले सभी स्तर IV और स्तर III यूसीबी[15] के लिए शुरू किए गए थे। नियंत्रणों की प्रयोजनीयता के आधार पर, यूसीबी की इन दो श्रेणियों के लिए केआरआई के विभिन्न सेट निर्धारित किए गए थे। इन यूसीबी ने केआरआई डेटा जमा करना शुरू कर दिया है और इसके आधार पर एक स्कोरिंग मॉडल तैयार किया जा रहा है।

VI.105 बढ़ते साइबर जोखिमों और यूसीबी में हाल की साइबर घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-आईएन) द्वारा सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा 55 स्तर-III यूसीबी के लिए त्रुटि मूल्यांकन अभ्यास किया गया ताकि, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा ढांचे की अनुपालन-सीमा का पता लगाया जा सके। त्रुटियों के आकलन के परिणाम के आधार पर, संबंधित यूसीबी में साइबर सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक 14 यूसीबी की आईटी जाँच भी की गई।

यूसीबी की अंतर-संबद्धता

VI.106 रिज़र्व बैंक द्वारा एक आकलन किया गया था जिसमें संबंधित कंपनियों का पता लगाने के लिए यूसीबी के निदेशकों को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) डेटाबेस के साथ मैप किया गया था। मूल्यांकन के परिणाम, आगे की कार्रवाई के लिए पर्यवेक्षी इनपुट के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं।

अन्य पहल

धोखाधड़ी के प्रति संवेदीकरण कार्यशाला

VI.107 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति वाले चुनिंदा यूसीबी के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं ताकि उन्हें धोखाधड़ी की रोकथाम, त्वरित/सटीक रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में जागरूक बनाया जा सके।

यूसीबी द्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष विवरणियों की समीक्षा और युक्तिकरण

VI.108 डेटा संग्रह की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूसीबी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की समीक्षा और युक्तिकरण किया गया। इन संशोधित विवरणियों को बाद में संवर्धन और अंगीकरण हेतु स्वीकार किया जाएगा।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.109 विभाग ने 2023-24 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- यूसीबी के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण की शुरूआत की जांच करना;

[15] जैसा कि 31 दिसंबर 2019 को 'यूसीबी के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा - एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण' पर रिज़र्व बैंक के परिपत्र में परिभाषित किया गया है।

- यूसीबी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे की समीक्षा करना; और
- स्तर III और IV शहरी सहकारी बैंकों के लिए आईटी जाँच के दायरे/ कवरेज का विस्तार करना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.110 विभाग ने रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी पर कड़ी निगरानी रखना जारी रखा।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.111 विभाग ने 2022-23 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- इस मामले में विनियामकीय मार्गदर्शन के आधार पर भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के तहत एनबीएफसी के लिए पर्यवेक्षी ढांचे और विवरणियों के प्रारूप की समीक्षा करना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.112];
- एनबीएफसी के लिए हाल ही में जारी स्केल-आधारित विनियामकीय ढांचे के संदर्भ में क्षेत्र-वार मूल्यांकन में बदलाव करना (पैराग्राफ VI.113);
- चुनिंदा एनबीएफसी के साइबर सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के लिए केआरआई शुरू करना (पैराग्राफ VI.114); और
- चुनिंदा एनबीएफसी के लिए आईटी जाँच की शुरुआत (पैराग्राफ VI.114)।

कार्यान्वयन की स्थिति

एनबीएफसी की विवरणियों का युक्तिकरण

VI.112 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक, चुनिंदा बड़ी एनबीएफसी और ऑडिट फर्मों के अधिकारियों, से बने एक कार्यदल द्वारा भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) [अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) का एक भारतीय संस्करण] के अनुरूप एनबीएफसी के पर्यवेक्षी ढांचे के अनुसार नई विवरणियों के प्रारूप की समीक्षा की और उसे तैयार किया। इन विवरणियों को कार्यान्वयन हेतु स्वीकार किया जाएगा।

एनबीएफसी का क्षेत्र-वार मूल्यांकन

VI.113 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने, एनबीएफसी के लिए हाल ही में जारी स्केल-आधारित विनियामकीय ढांचे के संदर्भ में एनबीएफसी के क्षेत्र-वार मूल्यांकन के उद्देश्य से 16 एनबीएफसी को अपर लेयर में वर्गीकृत किया। सभी एनबीएफसी को विभिन्न लेयरों, जैसे- टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडिल लेयर और बेस लेयर में कवर करने के लिए मॉडल डिजाइन को भी संशोधित किया गया।

एनबीएफसी की साइबर सुरक्षा और आईटी जाँच

VI.114 अंतर्निहित जोखिमों का आकलन करने और एक प्रभावी अप्रत्यक्ष निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए, चुनिंदा एनबीएफसी हेतु केआरआई शुरू किए गए थे। इन एनबीएफसी ने केआरआई डेटा प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है और इसके आधार पर एक स्कोरिंग मॉडल तैयार किया जा रहा है। चुनिंदा एनबीएफसी के लिए आईटी जाँच 2023-24 में शुरू की जाएगी।

अन्य पहल

अनुपालन न करने वाली एनबीएफसी के विरुद्ध कार्रवाई

VI.115 वर्ष के दौरान, चुनिंदा एनबीएफसी द्वारा डिजिटल उधारदाता सहभागियों (डीएलपी) के साथ की गई व्यवस्थाओं की लक्षित संवीक्षा के आधार पर, आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन न करने (वसूली एजेंटों से संबंधित सहित), उचित व्यवहार संहिता और केवाईसी मानदंडों, जैसे विभिन्न समस्याओं की जांच की गई। इसके अलावा, कुछ लापरवाह एनबीएफसी की भी पहचान की गई जिनकी दुर्बलताओं का फायदा बदमाशों द्वारा उठाए जा सकता था। पर्यवेक्षी जाँच के आधार पर कुछ एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को रद्द करने सहित उचित पर्यवेक्षी कार्रवाईयाँ की गईं।

दुर्बलताओं की शीघ्र पहचान के लिए विश्लेषणात्मक साधनों की उपयोगिता में सुधार

VI.116 वर्ष के दौरान, एनबीएफसी के दबाव परीक्षण मॉडल को - एकाधिक तुलन-पत्र और लाभ और हानि विवरण मानदंड/ अनुपात, बेसलाइन के तहत पूर्वानुमान और सीआरएआर स्तरों,

गिरावट का अनुमान लगाने के लिए मध्यम और गंभीर परिदृश्यों - को कवर करने के लिए उन्नत बनाया गया। मॉडल के नमूना पूर्वानुमानों के इनपुट और आउटपुट का बैक-परीक्षण किया गया जिससे मॉडल की प्रभाविता में सुधार हुआ।

धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और एनबीएफसी संवेदीकरण

VI.117 एनबीएफसी के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली 1 जुलाई 2022 से शुरू हो गई है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के हिस्से के रूप में, सुरक्षा संबंधी घटनाओं, *यानी* चोरी, सेंधमारी और डकैती की रिपोर्टिंग के लिए एक अलग तिमाही विवरणी (एफएमआर 4) शुरू की गई है। इसके अलावा, धोखाधड़ी की रोकथाम, त्वरित/ सटीक रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई पर उन्हें संवेदीकृत करने के लिए चुनिंदा एनबीएफसी के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

विविध विश्लेषणात्मक अध्ययन

VI.118 वर्ष के दौरान, एनबीएफसी द्वारा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन का अध्ययन करने के लिए विभाग द्वारा विविध विश्लेषणात्मक अध्ययन किए गए। इसके अलावा, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) के प्रावधानों के साथ इंड-एएस के तहत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की तुलना करने के लिए एक विश्लेषण किया गया था।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.119 विभाग ने 2023-24 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- एनबीएफसी के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की जांच और अनुपालन न करने वाले एनबीएफसी के विरुद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू करना;
- एनबीएफसी के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में हाल के संशोधन के प्रभाव का आकलन।

सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी उपाय

VI.120 एक एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) का परिचालन आरंभ किया गया है जिसमें बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी का पर्यवेक्षण, एक ही विभाग के तहत समग्र रूप से किया जा रहा है। इससे विनियामक/ पर्यवेक्षी अंतरपणन, परस्पर संबद्धता और सूचना विसंगति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बेहतर ढ़ंग से निपटा जा सकता है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.121 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- चुनिंदा यूसीबी और एनबीएफसी के केवाईसी/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) का कार्यान्वयन (पैराग्राफ VI.122);
- एनबीएफसी और यूसीबी में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.123);
- सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली [पैराग्राफ VI.124];
- साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय करना (पैराग्राफ VI.125);
- एसई में लेखापरीक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करना (पैराग्राफ VI.126 - VI.127); और
- पर्यवेक्षी स्टाफ के क्षमता-विकास और कौशल-संवर्धन के लिए पर्यवेक्षक महाविद्यालय (सीओएस) के परिचालन का विस्तार (पैराग्राफ VI.128)।

कार्यान्वयन की स्थिति

यूसीबी और एनबीएफसी का केवाईसी-एएमएल पर्यवेक्षण

VI.122 चुनिंदा यूसीबी और चुनिंदा एनबीएफसी के केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) विकसित और कार्यान्वित किया गया है। एसई के केवाईसी-एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए पर एक संक्षिप्त विवरण बॉक्स VI.4 में दिया गया है।

बॉक्स VI.4
पर्यवेक्षित संस्थाओं में केवाईसी / एएमएल जोखिमों का केंद्रित पर्यवेक्षण

एसई में केवाईसी/ एएमएल जोखिमों पर विशेष पर्यवेक्षी ध्यान देने के लिए और केवाईसी/ एएमएल जोखिमों की अलग-अलग स्थितियों का आकलन करने के लिए, एससीबी के केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) को 2020-21 के पर्यवेक्षी चक्र में डिजाइन और कार्यान्वित किया गया था। आरबीए ने, अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी/ एएमएल विशिष्ट पर्यवेक्षी डेटा टेम्प्लेट, विभिन्न जोखिम संकेतकों/ ड्राइवरों से युक्त एक विश्लेषणात्मक मॉडल, जो बैंकों की उचित जोखिम प्रोफाइलिंग में सहायक होगा तथा उभरते हुए केवाईसी/ एएमएल जोखिमों के बारे में उपयोगी अंतर्दृष्टि, को शामिल किया। केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए के दायरे को बढ़ाने की दृष्टि से, इसे चुनिंदा यूसीबी और चुनिंदा एनबीएफसी तक भी बढ़ाया गया है, जो आगे चलकर अपने पर्यवेक्षी मूल्यांकन में विशेष इनपुट प्रदान करेगा।

आरबीए, जो वर्तमान में अपने कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में है, ने उन बैंकों की पहचान करने में मदद की है जो अपने कारोबार मॉडल, ग्राहक आधार, लेनदेन की मात्रा और मूल्य के कारण उच्च केवाईसी/ एएमएल जोखिमों के प्रति अनावृत हैं और ऐसे बैंकों को केवाईसी/ एएमएल क्षेत्र में नियंत्रण और प्रक्रियाओं में असंगति की पहचान के लिए प्रत्यक्ष मूल्यांकन के अधीन रखा गया है। केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए ने, एसई को उनके केवाईसी/ एएमएल जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने और ऐसे जोखिमों को दूर करने के लिए उचित शमन/ नियंत्रण उपाय करने में मदद की है।

स्रोत: आरबीआई।

यूसीबी और एनबीएफसी में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ)

VI.123 रिज़र्व बैंक ने एसई में अनुपालन कार्य को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में इसने यूसीबी और एनबीएफसी में अनुपालन कार्य और सीसीओ की नियुक्ति के लिए अलग से कुछ सिद्धांत, मानक और प्रक्रियाएं जारी की थीं। ये दिशानिर्देश, *अन्य बातों के साथ-साथ,* अनुपालन कार्य में बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ-साथ एक मजबूत अनुपालन ढांचे की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करते हैं। जबकि यूसीबी के मामले में ये दिशानिर्देश टीयर-3 और टीयर-4 यूसीबी पर लागू होंगे, एनबीएफसी के मामले में ये अपर और मिडिल लेयर (एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल) के एनबीएफसी पर लागू होंगे।

एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग (यूएफआर)

VI.124 केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) परियोजना के तहत, सभी एसई के लिए एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली को संवर्धित रिपोर्टिंग प्रणाली के हिस्से के रूप में लागू किया जा रहा है। एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए एकीकृत विवरणी विकसित की गई हैं और वर्तमान में अपनायी जा रही हैं।

साइबर सुरक्षा उपाय

VI.125 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षी तंत्र के माध्यम से नियमित मूल्यांकन के साथ-साथ सभी एसई की साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करना जारी रखा। चुनिंदा एसई की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक साइबर टोही अभ्यास किया गया था। वर्ष के दौरान सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग और आईटी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर दो मसौदा मास्टर निदेश भी प्रकाशित किए गए थे।

लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाना

VI.126 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप पर्यवेक्षकों और लेखा परीक्षकों के बीच संचार की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा चुनिंदा यूसीबी और एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) के साथ वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों (एसएसएम) की संरचित बैठकों का एक तंत्र शुरू किया

गया था। 2019 से वाणिज्यिक बैंकों के एसएसएम और एसए के लिए ऐसा एक तंत्र पहले से मौजूद है।

VI.127 रिज़र्व बैंक ने पीएसबी की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा प्रक्रिया के तहत व्यापार कवरेज मानदंडों को संशोधित किया है और 2022-23 के लिए कवर किए जाने वाले वित्त पोषित और गैर-वित्तपोषित ऋण जोखिमों (क्रेडिट एक्सपोजर) का न्यूनतम 70 प्रतिशत निर्धारित किया है, जबकि व्यवसाय और वित्तीय जोखिमों से संबंधित बैंक-विशिष्ट पहलुओं पर विचार करने के बाद अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार 2023-24 के और उसके बाद की अवधि के लिए व्यापार कवरेज निर्धारित करने का विवेक दिया है। इस व्यवस्था के तहत पर्याप्त रक्षोपायों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अन्य उपयुक्त उपायों के साथ, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा से संबंधित मामलों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निदेशक मंडल और इसकी लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में वृद्धि की है।

क्षमता विकास - पर्यवेक्षक महाविद्यालय (सीओएस)

VI.128 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, *यथा* अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), फेडरल रिज़र्व बोर्ड (एफआरबी), बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई), यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी), दक्षिण-पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) और टोरंटो केंद्र के साथ सहयोग सहित सीओएस के परिचालन में काफी वृद्धि हुई है। सीओएस ने अपनी स्थापना के बाद से 31 मार्च 2023 के अंत तक जिन प्रतिभागियों को सीखने के इनपुट प्रदान किए हैं, उनकी संचयी संख्या 4,012 है, जिसमें (ए) पर्यवेक्षण, विनियमन, वित्तीय स्थिरता और प्रवर्तन विभागों में रिज़र्व बैंक के अधिकारी; (बी) सात अन्य अधिकार-क्षेत्रों के संबंधित विभागों के अधिकारी; (सी) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के पर्यवेक्षक शामिल हैं। पर्यवेक्षी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने स्वयं की आघात-सहनीयता के प्रबंधन की आवश्यकता पर एसई में कार्मिकों को संवेदनशील बनाने के लिए एससीबी, एनबीएफसी और यूसीबी के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) और आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख (एचआईए) को भी शिक्षार्थियों के समूह में शामिल किया गया था। शीर्ष 100 एनबीएफसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) को भी बदलती गतिशीलता के मद्देनजर रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाया गया।

अन्य पहलें

कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके उन्नत विश्लेषिकी

VI.129 पर्यवेक्षी इनपुट में और वृद्धि करने के लिए, एक उन्नत पर्यवेक्षी विश्लेषिकी समूह (एएसएजी) की स्थापना की गई है। एएसएजी ने ग्राहक आचरण, केवाईसी/ एएमएल, अभिशासन प्रभावशीलता आदि जैसे उपयोग में लाये जा रहे मामलों की पहचान की है जिन्हें मशीन से सीखे गए मॉडल का उपयोग करके विकसित किया जा रहा है। विभाग, पर्यवेक्षी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके प्रभावी सुपटेक टूल्स बनाने के लिए प्रक्रियाधीन है।

रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली (दक्ष)

VI.130 रिज़र्व बैंक द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को *दक्ष* नामक एक नई सुपटेक पहल शुरू की गई थी। यह एक वेब-आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो एप्लिकेशन है जिसके माध्यम से रिज़र्व बैंक, एसई के बीच अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुपालन आवश्यकताओं की अधिक केंद्रित तरीके से निगरानी करेगा। एप्लिकेशन निर्बाध संचार, निरीक्षण योजना और निष्पादन, साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण, और विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टों के प्रावधान को एक मंच के माध्यम से सक्षम करेगा, जो कभी भी-कहीं भी सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाता है (बॉक्स VI.5).

बॉक्स VI.5
***दक्ष* - रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली**

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) ने एक सुपटेक पहल, *दक्ष* - रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली लागू की है जो अपनी विभिन्न पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए एंड-टू-एंड वर्क_फ़्लो समाधान प्रदान करती है। यह एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं (रिज़र्व बैंक और पर्यवेक्षित संस्थाओं) को सुरक्षित, कभी भी-कहीं भी भूमिका-आधारित पहुंच प्रदान करता है। *दक्ष* को विभाग के सभी पर्यवेक्षी कार्यों के लिए एकल इंटरफ़ेस के रूप में परिकल्पित किया गया है क्योंकि यह डीओएस और एसई को एक समान मंच पर लाता है और विभिन्न पर्यवेक्षी पहलुओं पर निर्बाध संचार की सुविधा प्रदान करता है।

दक्ष में विभाग की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में निरीक्षण योजना और निष्पादन, कार्यक्षेत्र निर्धारण (स्कोपिंग) और संसाधन आबंटन, रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और संस्थाओं को निरीक्षण रिपोर्ट की उपलब्धता शामिल है। एप्लिकेशन द्वारा बनाई गई पर्यवेक्षी सूचना/ रिपॉजिटरी, पर्यवेक्षी कार्यों के लिए सूचना के एकल स्रोत के रूप में कार्य करने के साथ-साथ संस्थागत ज्ञान आधार का निर्माण करेगी।

स्रोत: आरबीआई।

घरेलू वित्तीय विनियामकों के साथ अंतर-विनियामकीय सहयोग

VI.131 रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए अन्य घरेलू वित्तीय विनियामकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस लक्ष्य की दिशा में, घरेलू विनियामकों ने अंतर-विनियामकीय मंच (आईआरएफ) की दसवीं और ग्यारहवीं बैठकों के दौरान वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा, बैंक के नेतृत्व वाले वित्तीय संगुट (एफसी) के साथ आईआरएफ की बैठकों के दौरान विनियमित इकाई विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की गई।

लक्षित आकलन

VI.132 रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी जोर, इकाई-विशिष्ट मुद्दों पर नजर रखते हुए, प्रणाली-व्यापी जोखिम निगरानी और न्यूनीकरण पर रहा है। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने लक्षित विषयगत आकलन की एक प्रणाली स्थापित की है जिसका उद्देश्य प्रणाली-व्यापी चिंताओं के मूल कारण की जांच करना और साथ ही पूरी प्रणाली में कुछ एसई में विलक्षण जोखिम निर्माण को समझना है। इन अध्ययनों ने सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने में मदद की है।

अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना

VI.133 रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी निगरानी/ अप्रत्यक्ष निगरानी को बहुत अधिक महत्व देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय स्थिरता के लिए किसी भी खतरे की शीघ्र पहचान की जा सके और उस पर बिना देरी के कार्रवाई की जा सके। तेजी से बदलती वित्तीय प्रणालियों के साथ रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी तीव्रता और प्रभावशीलता को समकालीन बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए, अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणालियों को तेज, अधिक व्यापक और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक में प्रचलित प्रणालियों के साथ अप्रत्यक्ष निगरानी में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की तुलना करते हुए एक अध्ययन किया गया था (बॉक्स VI.6)।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.134 विभाग ने 2023-24 में सभी एसई के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- आंतरिक और बाह्य इनपुट के आधार पर रेटिंग मॉडल सहित पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)*;
- प्रक्रिया लेखापरीक्षा और अनुपालन परीक्षण के चरणबद्ध सूत्रपात द्वारा खंडों/ एसई (विशेष रूप से एससीबी के अनुरूप एनबीएफसी और यूसीबी के लिए) में पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का सुविचारित सामंजस्य *(उत्कर्ष 2.0);*

बॉक्स VI.6
अप्रत्यक्ष निगरानी में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ

विभाग द्वारा रिज़र्व बैंक में प्रचलित प्रणाली *की तुलना में* प्रमुख राष्ट्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरणों (एनएसए)[16] द्वारा अपनाई गई पर्यवेक्षी अप्रत्यक्ष निगरानी और निगरानी प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन में मोटे तौर पर संगठनात्मक व्यवस्था, रूपरेखा/ कार्यप्रणाली, साधन/ प्रौद्योगिकियां, और पर्यवेक्षी क्षमता निर्माण शामिल हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं का वर्णन नीचे किया गया है:

संगठनात्मक व्यवस्था

एनएसए आम तौर पर एक स्थिर व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तथा संगठनात्मक व्यवस्था के अनुरूप होने और तेजी से विकसित वित्तीय प्रणाली द्वारा उत्पन्न जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए अपनी अप्रत्यक्ष निगरानी प्रथाओं की समीक्षा और पुनर्गठन करते रहते हैं। अधिक केंद्रित और व्यापक तरीके से जोखिमों की निगरानी करने के लिए नए प्रभागों/ इकाइयों के साथ संगठनात्मक ढांचे को बढ़ाया गया है। एनएसए की संगठनात्मक व्यवस्था के कुछ उदाहरण निम्न हैं:

- ईसीबी ने पूरे यूरो क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों (एफआई) की अप्रत्यक्ष निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक जोखिम विश्लेषण प्रभाग (आरएडी) की स्थापना की है।
- वित्तीय आचरण प्राधिकरण, यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने अपनी दिन-प्रतिदिन की पर्यवेक्षी गतिविधियों में एआई/ एमएल के उपयोग का पता लगाने के लिए डेटा और उन्नत विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है।
- सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने कुशल और प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए निरीक्षण और पर्यवेक्षी कार्यप्रणाली विभाग के अंतर्गत दो ऑफसाइट प्रभागों की स्थापना की है।

रूपरेखा/ कार्य-पद्धतियां

एनएसए अप्रत्यक्ष निगरानी और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के लचीले मिश्रण के माध्यम से पर्यवेक्षी जोखिम आकलन के लिए एकीकृत ढांचे का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि निम्नानुसार दिखाया गया है:

- आस्ट्रेलिया विवेकपूर्ण विनियमन प्राधिकरण (एपीआरए) अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से, संस्थाओं के जोखिम मूल्यांकन के लिए एक एकीकृत पर्यवेक्षण जोखिम और तीव्रता मॉडल का उपयोग करता है।
- एमएएस की पर्यवेक्षी कार्य-पद्धति, साधन और विश्लेषिकी प्रभाग-पर्यवेक्षी पद्धतियों और विश्लेषणात्मक साधन विकसित करता है।
- फेडरल रिज़र्व बैंक, बैंकों की अप्रत्यक्ष निगरानी के लिए, बैंक जोखिम मॉडल के पर्यवेक्षण, विनियमन और सांख्यिकीय मूल्यांकन का उपयोग करता है।

साधन और प्रौद्योगिकियां

चूंकि अधिकांश अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षी प्रक्रियाएं डेटा-गहन, पुनरावर्ती या अत्यधिक मैनुअल हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष निगरानी के लिए साधनों और तकनीकों का चयन महत्वपूर्ण है। सुपटेक कार्यनीतियों के विकास में पर्यवेक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख उभरती प्रौद्योगिकियां क्लाउड प्रौद्योगिकी, एआई, एमएल, *प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण* (एनएलपी), विभेदीकृत लेजर तकनीक और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हैं। प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए एनएसए द्वारा की गई प्रमुख पहलों के कुछ उदाहरण निम्न हैं:

- ईसीबी ने एमएल का उपयोग करते हुए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है जो वित्तीय दबावग्रस्त वित्तीय संस्थाओं की पहचान करने में मदद करती है।
- एमएएस का सुपटेक कार्यालय, अपने फिनटेक और नवोन्मेषी समूह के साथ साझेदारी में, पर्यवेक्षी और वित्तीय क्षेत्र संबंधी डेटा का विश्लेषण करता है और विनियामक अनुपालन को और अधिक दक्ष बनाने के लिए डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

मिश्रित क्षेत्राधिकारीय अध्ययन (क्रॉस-ज्यूरिडिक्शनल स्टडी) से पता चलता है कि प्रारंभिक जोखिमों की पूर्व पहचान के लिए अप्रत्यक्ष विश्लेषिकी और निगरानी ढांचे पर अधिक ध्यान दिया जाता है और ऑनसाइट पर्यवेक्षकों के साथ समन्वय में त्वरित समाधानपरक उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, निरंतर आधार पर पर्यवेक्षकों के क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन पर जोर दिया जाता है। रिज़र्व बैंक उन अधिकांश गतिविधियों का संचालन कर रहा है जो प्रमुख राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा की जाती हैं। नई प्रक्रियाधीन परियोजनाएं या प्रस्तावित गतिविधियों से अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, निगरानी और चौकसी के दायरे और क्षमता को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनमें उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली *(दक्ष);* पर्यवेक्षी इनपुट उत्पन्न करने के लिए उन्नत विश्लेषिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग; सोशल मीडिया और ऑनलाइन समाचार जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों से डेटा रिपोर्टिंग को स्वचालित करना और डेटा प्रबंधन (सीआईएमएस) और पर्यवेक्षी आसूचना ढांचे-आधारित क्षमताओं के लिए निगरानी साधन स्थापित करना, शामिल है।

स्रोत: आरबीआई।

[16] ऑस्ट्रेलिया विवेकपूर्ण विनियमन प्राधिकरण (एपीआरए), ऑस्ट्रेलिया; बैंक नेगारा, मलेशिया; डी नेदरलैंड्स बैंक, नीदरलैंड; यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी); बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए), यूके; सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और फेडरल रिजर्व बैंक, यूएसए।

- केवाईसी-एएमएल और साइबर/ आईटी जोखिमों से संबंधित एसई के प्रत्यक्ष मूल्यांकन को सुव्यवस्थित और मजबूत करना *(उत्कर्ष 2.0);*
- पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विश्लेषिकी और सुपटेक पहलों को लागू करना; और
- साइबर ड्रिल आयोजित करने के लिए साइबर रेंज की स्थापना, साइबर सेक्टोरल सिक्युरिटी ऑपरेशंस सेंटर (एस-एसओसी) के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की जांच करने और एसई के लिए फिशिंग सिमुलेशन अभ्यास आयोजित करने सहित एसई में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.135 प्रवर्तन विभाग की स्थापना अप्रैल 2017 में, प्रवर्तन कार्रवाई को पर्यवेक्षण प्रक्रिया से अलग करने तथा लागू कानूनों और रिज़र्व बैंक द्वारा उनके तहत लगाए गए नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और आदेशों, विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा जारी किए गए निदेशों और शर्तों के उल्लंघन की पहचान करने और संसाधित करने के लिए एक संरचित, नियम-आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने और ऐसा पूरे रिज़र्व बैंक में लगातार लागू करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रवर्तन का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक हित एवं उपभोक्ता संरक्षण की सुरक्षा के अतिव्यापी सिद्धांत के भीतर आरई द्वारा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.136 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- आरई द्वारा अनुपालन संस्कृति में सुधार को सुविधाजनक बनाने के लिए, आरई के बीच अतिरिक्त सूचना के प्रसार के लिए छमाही अंतराल पर प्रवर्तन कार्रवाइयों पर एक रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली स्थापित की जाएगी (पैराग्राफ VI.137);
- आरई के अनुपालन अधिकारियों के संवेदीकरण पर केंद्रित सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे (पैराग्राफ VI.138);
- विभाग पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को आरई के अनुपालन परीक्षण के लिए व्यवसाय प्रक्रिया एप्लिकेशन का उपयोग करके पहचाने गए अक्सर देखे गए उल्लंघनों के लिए इनपुट प्रदान करेगा ताकि आरई में अनुपालन संस्कृति में सुधार लाया जा सके (पैराग्राफ VI.139); और
- विभाग, प्रवर्तन के लिए स्केल-आधारित दृष्टिकोण की व्यवहार्यता की जांच करेगा (पैराग्राफ VI.140)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.137 छमाही अंतराल पर प्रवर्तन कार्रवाइयों पर रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली स्थापित की गई है। आरई के बीच सूचना के प्रसार के लिए इस तरह की पहली रिपोर्ट डीओएस के साथ साझा की गई है।

VI.138 वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) के साथ-साथ सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के लिए अनुपालन और प्रवर्तन पर केंद्रित सेमिनार आयोजित किए गए थे।

VI.139 निरीक्षण/ संवीक्षा रिपोर्ट और विभाग में प्राप्त अन्य संदर्भों की जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अनुभव और आरई से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, पाए गए उल्लंघनों और उनके व्यापक प्रसार के संदेह की पहचान की गई तथा अनुपालन परीक्षण के लिए डीओएस और नाबार्ड के साथ साझा किया गया।

VI.140 प्रवर्तन के लिए स्केल-आधारित दृष्टिकोण की व्यवहार्यता एक समग्र जांच के अधीन है।

अन्य पहल

VI.141 वर्ष 2022-2023 के दौरान, विभाग ने 205 आरई (211 दंड) के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए क़ानूनों और कतिपय निदेशों के प्रावधान के उल्लंघन/ अननुपालन[17] के लिए ₹40.39 करोड़ का कुल जुर्माना लगाया (सारणी VI.5)।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.142 वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव रखता है:

- विभाग, प्रवर्तन के लिए एक स्केल-आधारित दृष्टिकोण को लागू करने का प्रयास करेगा।

सारणी VI.5 प्रवर्तन कार्रवाई
(अप्रैल 2022-मार्च 2023)

विनियमित संस्था	दंड की संख्या	कुल दंड (₹ करोड़)
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	7	3.65
निजी क्षेत्र के बैंक	7	12.17
सहकारी बैंक	176	14.04
विदेशी बैंक	5	4.65
भुगतान बैंक	-	-
लघु वित्त बैंक	2	0.97
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	0.42
एनबीएफसी	11	4.39
एचएफसी	2	0.10
कुल	**211**	**40.39**

-: शून्य
स्रोत: आरबीआई।

5. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.143 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी), रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं (आरई) के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है; आरई के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की निगरानी करता है; लोकपाल कार्यालयों के निष्पादन पर निगरानी रखने के साथ-साथ 'रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' (आरबी-आईओएस) को लागू करता है; और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा और सुरक्षा पर मौजूदा विनियमों के साथ-साथ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के तरीकों के बारे में जन जागरूकता पैदा करता है।

2022-23 के लिए कार्यसूची

VI.144 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए थे:

- ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए व्यापक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान (पैराग्राफ VI.145);
- ग्राहक संरक्षण को मजबूत करने और रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत निवारण की गति में सुधार के लिए उन्नत तकनीकी साधनों का उपयोग करना (पैराग्राफ VI.146);
- आपदा उद्धार और कारोबारी निरंतरता समाधान को शामिल करने के लिए चंडीगढ़ में रिज़र्व बैंक के संपर्क केंद्र का उन्नयन और विस्तार (पैराग्राफ VI.147);

[17] उदाहरण के लिए, उनमें से कुछ में बैंकिंग अधिनियम, 1949 की धारा 26ए का उल्लंघन शामिल है; बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा; एक्सपोजर मानदंड और आईआरएसी मानदंड; भारतीय रिज़र्व बैंक [अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)] निदेश, 2016; भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश 2016; सीआरआईएलसी पर जानकारी की रिपोर्टिंग; साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करना; उपभोक्ता संरक्षण- अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों की देयता सीमित करना; निदेशक से संबंधित ऋण; निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी; और आवास वित्त कंपनियां (एनएचबी) निदेश, 2010।

- आरई में ग्राहक सेवा मानकों और प्रथाओं और इस मामले में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करना (पैराग्राफ VI.148);
- उपभोक्ता संरक्षण सूचकांक (सीओपीआई) का निर्माण और प्रसार [पैराग्राफ VI.149]; और
- "बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने" के लिए ढांचे की समीक्षा (पैराग्राफ VI.150)।

कार्यान्वयन की स्थिति

ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए व्यापक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान

VI.145 ग्राहकों के बीच अधिक वित्तीय साक्षरता, शिक्षा और जागरूकता के लिए चल रही पहलों के अलावा, सीईपीडी ने जनसंख्या के सभी क्षेत्रों और खंडों हेतु, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को कवर करने के लिए एक अखिल भारतीय उपभोक्ता वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। रिज़र्व बैंक के सभी 22 लोकपालों ने ग्राहक अधिकारों, उपभोक्ता संरक्षण, शिकायत निवारण तंत्र और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम पर संदेश को अंतिम छोर तक फैलाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय/ स्थानीय भाषाओं में मल्टीमीडिया चैनलों को संबोधित किया। रिज़र्व बैंक के वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) तंत्र के तहत विभिन्न सुविधाओं, *यथा* आरबी-आईओएस, 2021, केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी), संपर्क केंद्र, ग्राहकों की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ-साथ डिजिटल/ इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के खिलाफ उनकी सुरक्षा के उपायों को कवर करते हुए एक मीडिया वार्ता आयोजित की गई थी। इसके बाद 1 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक आरई के सहयोग से एक महीने का राष्ट्रीय गहन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके दौरान विभिन्न भौतिक संपर्क/ इंटरफ़ेस कार्यक्रमों के अलावा प्रिंट, टेलीविजन, आरबीआई वेबसाइट, 'आरबीआई-सेज', इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) और 'आरबीआई *कहता है,' आदि* के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए। (बॉक्स VI.7)।

रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहक संरक्षण को सुदृढ़ बनाने और शिकायत निवारण की गति में सुधार के लिए उन्नत तकनीकी साधनों का उपयोग करना

VI.146 शिकायतों के बेहतर वर्गीकरण के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) में कृत्रिम मेधा (एआई) का लाभ उठाने के लिए, निर्णय लेने में सहायता और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए एक विस्तृत व्यावसायिक आवश्यकता दस्तावेज़ तैयार किया गया और समीक्षा के लिए तकनीकी सलाहकार दल (टीएजी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। टीएजी कार्रवाई बिंदुओं पर विक्रेता की तकनीकी प्रस्तुतियों पर वर्तमान में रेबिट (रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा समीक्षा की जा रही है। उसके बाद, प्रस्ताव को उनके मार्गदर्शन और अनुमति के लिए टीएजी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

आपदा उद्धार और कारोबारी निरंतरता समाधान शामिल करने के लिए चंडीगढ़ में रिज़र्व बैंक संपर्क केंद्र का व्यापक आधार और उन्नयन

VI.147 राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में *हिंदी* और अंग्रेजी में अधिकारियों के साथ बातचीत का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे (7 घंटे और 45 मिनट) से बढ़ाकर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे (14 घंटे) तक किया गया था। आईवीआरएस पर जानकारी 24×7×365 आधार पर उपलब्ध है। संपर्क केंद्र पर कॉल करने वाले एजीआर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पर दर्ज की गई अपनी शिकायतों की स्थिति भी जान सकते हैं। अपने आरंभ के समय 12 नवंबर 2021 को उपलब्ध आठ क्षेत्रीय भाषाओं *यथा* बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल और तेलुगू के अलावा दो अतिरिक्त भाषाओं, असमिया और पंजाबी को जोड़ा गया है। कारोबारी निरंतरता (बीसी) और आपदा उद्धार

बॉक्स VI.7
राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम

एक राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी) का आरंभ 1 नवंबर 2022 हुआ था और यह 30 नवंबर 2022 तक जारी रहा। इसका उद्देश्य जनता के बीच उनके अधिकारों, वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर)/ आंतरिक शिकायत निवारण (आईजीआर) तंत्र और समग्र वित्तीय जागरूकता, रिज़र्व बैंक आरई की पहुंच का लाभ उठाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का केंद्र-बिंदु आबादी के अब तक अगम्य और पृथक क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने पर था, विशेष रूप से टीयर- III से VI शहरों और अन्य अगम्य क्षेत्रों में। अधिकांश अभियान स्थानीय लोक-संपर्क संबंधी माध्यमों का उपयोग करके क्षेत्रीय/ स्थानीय भाषाओं में चलाए गए।

जनता तक पहुँचने के लिए नियमित जन जागरूकता अभियानों के साथ-साथ कई नवोन्मेषी कार्यनीतियां लागू की गईं, उनमें से कुछ *नुक्कड़ नाटक*, कठपुतली खेल, स्किट, मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक जैसी लोक कलाएँ थीं; खेल प्रतियोगिताएं; फ्लैश मॉब, रैलियां, हाफ-मैराथन, मानव शृंखला का निर्माण, क्रॉसवर्ड और वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, निर्माण श्रमिकों, छोटे दुकानदारों और दृष्टि-बधितों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल थे।

एनआईएपी अभियान के दौरान लगभग 1.63 लाख कार्यक्रम किए गए, जिनमें से लगभग 1.28 लाख कार्यक्रमों का भौतिक रूप से आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों में लगभग तीन करोड़ लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और ऑनलाइन माध्यम से यह लगभग 25 करोड़ लोगों तक पहुंचा। आबादी के कमजोर वर्गों के लिए विशेष अभियान चलाए गए और लगभग 16,000 दिव्यांगों व 82,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इन गतिविधियों में भाग लिया। लगभग 22,000 वसूली एजेंटों के लिए उचित व्यवहार और मौजूदा दिशानिर्देशों पर केंद्रित अभियान आयोजित किए गए।

प्रभाव के संदर्भ में, इन कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न जागरूकता के कारण आरबी-आईओएस के तहत दर्ज शिकायतों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है और साथ ही रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ के संपर्क केंद्र में कॉल की संख्या में वृद्धि देखी गई है (चार्ट 1)।

बॉक्स 7. चार्ट 1: एनआईएपी का प्रभाव

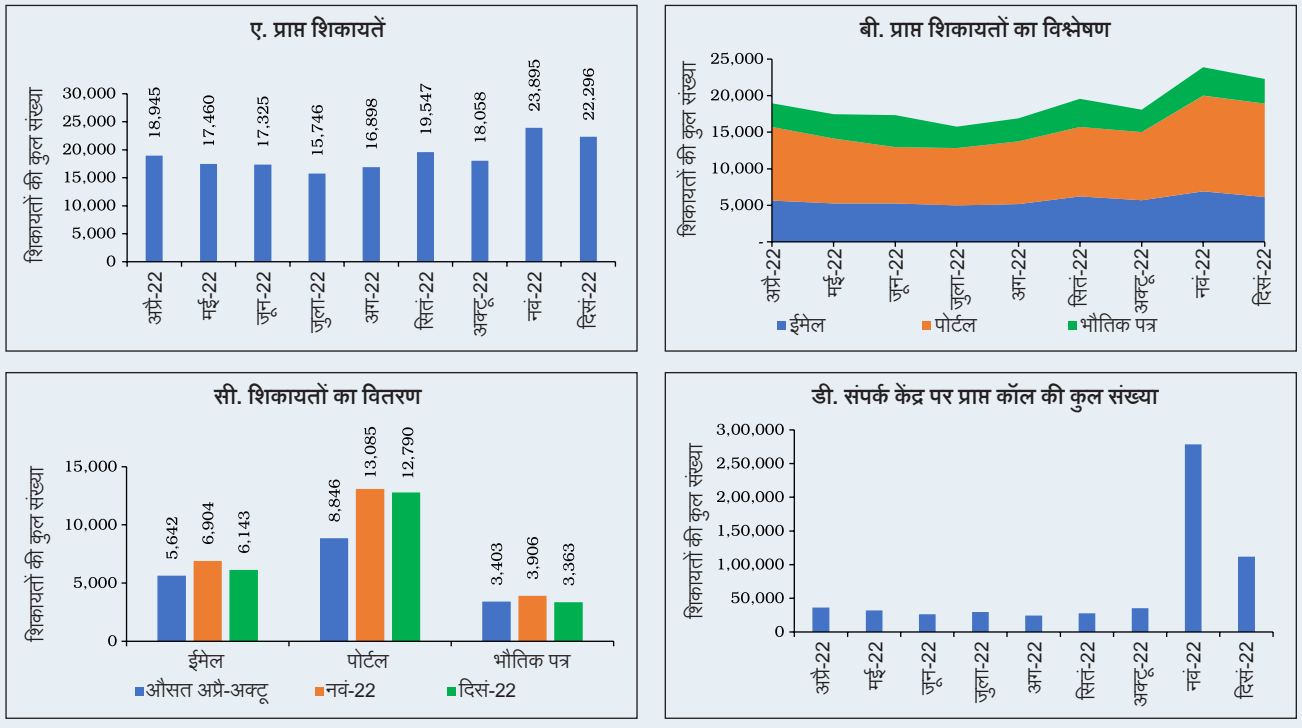

स्रोत: आरबीआई।

एनआईएपी और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों ने भी आरबी-आईओएस के रिकॉल मान में वृद्धि की है और आरई को उपभोक्ता संरक्षण में उत्कृष्ट प्रयास करने के लिए उत्साहित किया है।

स्रोत: आरबीआई।

(डीआर) क्षमताओं के साथ तीन स्थानों यथा भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और कोच्चि में अत्याधुनिक संपर्क केंद्र (सीसी) के विकास की परियोजना प्रक्रियाधीन है। संपर्क केंद्र के लिए कनेक्टिविटी और नेटवर्क आवश्यकताएं आईएफटीएएस (इफ्तास) द्वारा प्रदान की जाएंगी। संपर्क केंद्र में एक हाइब्रिड मॉडल के अनुसार स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे, जहां संपर्क केंद्र के परिचालन एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जबकि समग्र पर्यवेक्षण रिज़र्व बैंक के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

आरई में ग्राहक सेवा मानकों और प्रथाओं की समीक्षा के लिए समिति और इस मामले में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

VI.148 आरई में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की स्थिति और ग्राहक सेवा विनियमों की पर्याप्तता की समीक्षा करने तथा समग्र ग्राहक सुरक्षा ढांचे में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने के लिए "रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा" (अध्यक्ष: श्री बी.पी. कानूनगो, पूर्व उप गवर्नर, रिज़र्व बैंक) समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और कार्यान्वयन हेतु उसकी सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

उपभोक्ता संरक्षण मूल्यांकन मैट्रिक्स (सीपीएएम) का निर्माण और प्रसार

VI.149 ग्राहक सेवा, शिकायत निवारण और जागरूकता पैदा करने के प्रयासों में आरई के प्रदर्शन का आकलन करने के उद्देश्य से सीईपीडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण मूल्यांकन मैट्रिक्स को पहले कदम के रूप में विकसित किया जा रहा है।

बैंकों में "शिकायत निवारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण" के लिए ढांचे की समीक्षा

VI.150 मार्च 2021 और मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरई से प्राप्त फीडबैक और फ्रेमवर्क को लागू करने के अनुभव के आधार पर, बैंकों में आंतरिक शिकायत निवारण के सुदृढ़ीकरण के लिए 27 जनवरी 2021 को स्थापित ढांचे की समीक्षा की गई है।

प्रमुख घटनाक्रम

आरबी-आईओएस, 2021 के तहत साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को शामिल करना और सीआईसी के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र का विस्तार

VI.151 साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 1 सितंबर 2022 से आरबी-आईओएस के तहत लाया गया था ताकि सीआईसी के खिलाफ शिकायतों के लिए आरबी-आईओएस, 2021 के तहत कवर किए गए आरई के ग्राहकों को लागत-रहित और त्वरित वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) के लिए एक अवसर प्रदान किया जा सके।

VI.152 आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र को पहले (i) बैंकों के लिए वर्ष 2018 में; (ii) 2019 में गैर-बैंक भुगतान प्रणाली सहभागी; और (iii) नवंबर 2021 में सार्वजनिक ग्राहक इंटरफ़ेस वाली 10 या अधिक शाखाओं के साथ जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के लिए लागू किया गया था। सीआईसी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की दक्षता को मजबूत करने और सुधारने के लिए, आईओ तंत्र की सुविधा को अब उनके लिए भी विस्तारित कर दिया गया है। साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक सभी सीआईसी को 1 अप्रैल 2023 तक रिज़र्व बैंक (साख सूचना कंपनियां - आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2022 का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है। निदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, आईओ के लिए नियुक्ति/ कार्यकाल, भूमिका और उत्तरदायित्व, प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों और निगरानी तंत्र शामिल हैं।

आरबी-आईओएस, सीआरपीसी और संपर्क केंद्र पर संतुष्टि सर्वेक्षण

VI.153 विभाग ने अप्रैल-मई 2022 के माह में उन ग्राहकों के लिए एक संतुष्टि सर्वेक्षण किया, जिन्होंने अपने वित्तीय सेवा

प्रदाताओं, जो रिज़र्व बैंक के आरई हैं, द्वारा उनकी शिकायतों के असंतोषजनक निपटान के संबंध में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आरबीआईओ से संपर्क किया था, जिसमें सीआरपीसी और चंडीगढ़ में संपर्क केंद्र के साथ संतुष्टि का स्तर भी शामिल है। लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाता रिज़र्व बैंक लोकपाल द्वारा प्रदान किए गए समग्र समाधान से संतुष्ट थे और 58.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया कि संपर्क केंद्र के कार्यकारी से संपर्क करने का प्रतीक्षा समय/ प्रयास यथोचित था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, 60.1 प्रतिशत उत्तरदाता आरबी-आईओएस के तहत पंजीकरण, शिकायत से निपटने और समाधान समय सहित समग्र प्रक्रिया से संतुष्ट थे।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.154 विभाग 2023-24 के लिए *उत्कर्ष 2.0* के तहत निम्नलिखित कार्य-योजना का प्रस्ताव रखता है:

- ग्राहक सेवा पर रिज़र्व बैंक के मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा, समेकन और अद्यतन;
- बढ़ी हुई डेटा उपयोगिता और विश्लेषण के लिए इन्कॉग्निटो विसिट के माध्यम से संकलित डेटा का डिजिटलीकरण;
- आपदा उद्धार और कारोबारी निरंतरता योजना सुविधा सहित स्थानीय भाषाओं के लिए दो अतिरिक्त स्थानों पर रिज़र्व बैंक संपर्क केंद्र स्थापित करना; और
- विभिन्न आरई प्रकारों पर लागू आंतरिक लोकपाल योजनाओं की समीक्षा और एकीकरण।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.155 जमा बीमा प्रणाली, वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि के संरक्षण का आश्वासन देती है, और इस तरह उनकी वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखती है। डीआईसीजीसी पूरी तरह से रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत गठित किया गया है। डीआईसीजीसी द्वारा विस्तारित जमा बीमा में स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), भुगतान बैंक (पीबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,027 थी, जिसमें 140 वाणिज्यिक बैंक (43 आरआरबी, दो एलएबी, छह पीबी और 12 एसएफबी शामिल हैं) और 1,887 सहकारी बैंक [33 राज्य सहकारी बैंक, 352 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 1,502 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)] शामिल थे।

VI.156 भारत में जमा बीमा की वर्तमान सीमा 'समान क्षमता में और समान अधिकार में' बैंक के प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख है, 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल खातों की संख्या (300.1 करोड़) में से पूरी तरह से संरक्षित खातों (294.5 करोड़) की संख्या 98.1 प्रतिशत थी। राशि के संदर्भ में, 31 मार्च 2023 को ₹83,89,470 करोड़ की कुल बीमाकृत जमाराशि ₹1,81,14,550 करोड़ की कर-निर्धारणीय जमाराशि का 46.3 प्रतिशत थी। मौजूदा स्तर पर, 2022-23 में बीमा कवर प्रति व्यक्ति आय का 2.91 गुना होगा।

VI.157 डीआईसीजीसी निक्षेप बीमा कोष (डीआईएफ) का निर्माण अपने अधिशेष, यानी करों को घटाकर प्रत्येक वर्ष व्यय पर (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान और संबंधित खर्चों का भुगतान) आय के आधिक्य (मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेश से ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्तियों से नकद वसूली) के हस्तांतरण के माध्यम से करता है। यह निधि परिसमापन/ समामेलन में लिए गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध है।

VI.158 वर्ष 2022-23 के दौरान, निगम ने डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 (1) के तहत 11 परिसमाप्त

बैंकों के कुल ₹105.8 करोड़ के पूरक दावों को मंजूरी दी है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के दौरान, निगम ने रिज़र्व बैंक के 'सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी)' के तहत 28 बैंकों के संबंध में कुल ₹646.8 करोड़ के दावों का निपटान भी किया है। 31 मार्च 2023 की स्थिति में डीआईएफ का आकार ₹1,69,263 करोड़ (अ) था, जो 2.02 प्रतिशत का आरक्षित अनुपात (डीआईएफ/ बीमाकृत जमा) देता था।

VI.159 वर्ष 2021-22 के दौरान डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया, जिसने एआईडी के तहत बैंकों के लिए जमाकर्ताओं की बीमाकृत जमाराशि के संवितरण की सुविधा प्रदान की। डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18 (ए) के संदर्भ में, डीआईसीजीसी को अब ऐसे बैंकों के इच्छुक जमाकर्ताओं को 90 दिनों की अवधि के भीतर ₹5 लाख तक की राशि वितरित करने का अधिकार है। एक बीमाकृत बैंक को एआईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना होता है, जिसके बाद डीआईसीजीसी को 30 दिनों के भीतर दावों का सत्यापन कर जमाकर्ताओं को अगले 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होता है। डीआईसीजीसी अधिनियम में बीमाकृत बैंक या डीआईसीजीसी के लिए क़ानून द्वारा निर्धारित समयसीमा को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, कुछ शहरी सहकारी बैंकों द्वारा 45 दिनों की सांविधिक समय-सीमा के भीतर जमाकर्ताओं की दावा सूची प्रस्तुत नहीं किए जाने के उदाहरण सामने आए हैं, जिससे डीआईसीजीसी ऐसे बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करने से बाधित हुआ है। निगम ने अपनी लोकसंपर्क गतिविधियों में निगम का मार्गदर्शन करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के गठन के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ाने की पहल की है। सोशल मीडिया सहित जन जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यनीति और संचार के माध्यम, संचार नीति के केंद्र-बिंदु हैं।

VI.160 किसी अधिकार-क्षेत्र में जमा बीमा प्रणाली की प्रभावकारिता का अनुमान, प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए जमा बीमाकर्ताओं के अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) के मूल सिद्धांतों के अनुपालन का आकलन करके लगाया जा सकता है (बॉक्स VI.8)।

बॉक्स VI.8
प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए आईएडीआई के मूल सिद्धांतों का डीआईसीजीसी द्वारा अनुपालन

जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने जून 2009 में प्रभावी जमा बीमा प्रणाली (डीआईएस) के लिए मूल सिद्धांत जारी किए। मुख्य सिद्धांतों (सीपी) के लिए एक अनुपालन मूल्यांकन पद्धति दिसंबर 2010 में पूरी की गई थी। सीपी और उनकी अनुपालन मूल्यांकन पद्धति का उपयोग अधिकार-क्षेत्रों द्वारा उनके डीआईएस की गुणवत्ता का आकलन करने और उनकी जमा बीमा प्रथाओं में असंगति की पहचान करने तथा उन्हें दूर करने के उपायों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। सीपी का उपयोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) के संदर्भ में अधिकार-क्षेत्रों के डीआईएस और प्रथाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, नवंबर 2014 (16 सीपी) में मूल सिद्धांतों (सीपी) को संशोधित किया गया था।

मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक अधिकार-क्षेत्र की जमा बीमा प्रणाली(यों) की संरचनात्मक, कानूनी और संस्थागत विशेषताओं पर विचार करने के बाद, मूल सिद्धांतों (सीपी) के अनुपालन का मूल्यांकन करना होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया से जमा बीमाकर्ता और नीति निर्माताओं को सीपी के खिलाफ अपनी जमा बीमा प्रणाली को बेंचमार्क करने में मदद मिलनी चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि प्रणाली अपने सार्वजनिक नीति उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से पूरा कर रही है। बदले में, यह आकलन जमा बीमाकर्ता और नीति निर्माताओं को, आवश्यक रूप से, जमा बीमा प्रणाली और वित्तीय रक्षा कवच (सेफ्टी नेट) में सुधार करने में भी सहायता कर सकता है। सीपी के अनुसार,

(ज़ारी)

[18] अनुपालित: जब आवश्यक मानदंडों को बिना किसी महत्वपूर्ण कमियों के पूरा किया जाता है। काफी हद तक अनुपालित: जब केवल गौण कमियां देखी जाती हैं, और प्राधिकारी एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण अनुपालन करने में सक्षम होते हैं। गंभीर रूप से अननुपालित: जब गंभीर कमियां होती हैं जिन्हें आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। अननुपालित: सीपी का कोई ठोस कार्यान्वयन नहीं। लागू नहीं: जमा बीमा प्रणाली की संरचनात्मक, कानूनी और संस्थागत विशेषताओं को देखते हुए विचार नहीं किया गया।

आकलन पांच ग्रेड वाले पैमाने का पालन करते हैं[18]। निगम ने हाल ही में आईएडीआई सीपी के साथ डीआईसीजीसी के अनुपालन का मुख्य रूप से डीआईसीजीसी अधिनियम और वर्तमान अधिदेश के आधार पर स्व-मूल्यांकन किया है। स्व-मूल्यांकन के अनुसार, निगम आधे से अधिक सीपी में या तो पूरी तरह से अनुपालित (पांच सीपी) या बड़े पैमाने पर अनुपालित (पांच सीपी) है। शेष छह सीपी में से, गंभीर रूप से अननुपालित (दो सीपी) हैं, जबकि चार सीपी लागू नहीं हैं[19]। आईएडीआई के अनुसार, जमा बीमाकर्ताओं के अधिदेश को समग्र कार्यों के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है[20]।

निगम मुख्यतः तक 'पे-बॉक्स प्लस' की श्रेणी में आता है, जिसके तहत निगम, रिज़र्व बैंक द्वारा एआईडी के तहत शामिल परिसमापित बैंकों और बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के अलावा (जमाराशि की निकासी पर प्रतिबंध के साथ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलय योजना के अनुमोदन के बाद एक कमजोर बैंक के सुदृढ़ बैंक के साथ विलय के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

संदर्भ:

1. डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (अगस्त 2021 तक संशोधित)।
2. आईएडीआई (2014), 'कोर प्रिन्सिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपॉज़िट इंश्योरंस सिस्टम्स', नवंबर।
3. आईएडीआई (2016), 'ए हैंडबुक फॉर दि असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस विद दि कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम्स', मार्च।

6. निष्कर्ष

VI.161 वर्ष 2022-23 में, वित्तीय प्रणाली को कई वैश्विक विपरीत परिस्थितियों से बचाने के साथ, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण पर जोर देने के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए कई विनियामक और पर्यवेक्षी उपाय किए गए थे। जनवरी 2022 में जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम वर्ष के दौरान जारी किए गए थे। सर्वेक्षण का उद्देश्य जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में अग्रणी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दृष्टिकोण, की गई तैयारी के स्तर और हुई प्रगति का आकलन करना था। तदनुसार, वर्ष के दौरान जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें विनियमित संस्थाओं (आरई) और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। आगे चलकर, वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यान्वयन के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी क्षेत्र में कई और नई पहलों पर विचार किया गया है, जिसके साथ-साथ जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के मध्यावधि कार्यनीति ढांचे के तहत पहलें शामिल हैं *(उत्कर्ष 2.0)*। हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाकर वित्तीय क्षेत्र में ग्राहक सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे, जबकि फिनटेक के कवरेज और पहुंच का विस्तार किया जाएगा जो वित्तीय सेवाओं को तेज, सुरक्षित और युक्तिसंगत लागत पर उपलब्ध कराएगा।

[19] सीपी4: अन्य रक्षा कवच प्रतिभागियों के साथ संबंध; और सीपी6: आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन में डीआई की भूमिका भौतिक रूप से गैर-अनुपालन की है। सीपी5: सीमा-पार मुद्दे; सीपी12: बैंक विफलता की स्थिति में दोषपूर्ण पक्षों से निपटना; सीपी13: प्रारंभिक पहचान और समय पर हस्तक्षेप; और सीपी14: विफलता समाधान लागू नहीं हैं

[20] अधिदेश को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) "पे बॉक्स», जहां जमा बीमाकर्ता केवल बीमित जमाराशि की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है; (ii) "पे बॉक्स प्लस», जहां जमा बीमाकर्ता की अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि कुछ समाधान कार्य *(जैसे,* वित्तीय सहायता); (iii) "हानि न्यूनीकरण», जहां बीमाकर्ता कम-से-कम लागत वाली समाधान कार्यनीतियों की एक शृंखला से चयन में सक्रिय रूप से संलग्न होता है; और (iv) "जोखिम न्यूनीकरण», जहां बीमाकर्ता के पास व्यापक जोखिम न्यूनीकरण कार्य होते हैं जिनमें जोखिम मूल्यांकन/ प्रबंधन, प्रारंभिक हस्तक्षेप और समाधान शक्तियों का एक पूर्ण समूह, और कुछ मामलों में विवेकपूर्ण निगरानी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं।